

(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 161

नई दिल्ली,

11 जून, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, इस प्राधिकरण की अधिसूचना सं. टीएएमपी/52/2007-विविध दिनांक 26 फरवरी 2008 द्वारा महापत्तनों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए अप्रकंट प्रशुल्क निर्धारण हेतु दिशानिर्देशों के अनुसरण में थर्मल कोयला और स्टीम कोयला के प्रहस्तन के लिए अप्रकंट प्रशुल्क निर्धारित करने हेतु विशाखापत्तनम पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला सं. टीएएमपी/53/2009-वीपीटी

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

आवेदक

आदेश

(मई, 2010 के 4थें दिन पारित)

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) ने अधिसूचना सं. टीएएमपी/52/2007-विविध दिनांक 26 फरवरी 2008 द्वारा महापत्तनों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण हेतु दिशानिर्देशों के अनुसरण में अभिकल्प, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर प्रस्तावित पूर्व घाट 1क में थर्मल कोयला और स्टीम कोयला के अभियंत्रिकृत प्रहस्तन के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण हेतु पत्र दिनांक 26 नवम्बर 2009 द्वारा अपना प्रस्ताव दाखिल किया था। प्रस्ताव में कुछ कमियां थीं। प्रस्तावित सुविधा के प्रत्यक्ष फीचर नहीं भेजे गए थे। इस प्रस्ताव के साथ मसौदा दरमान नहीं भेजा गया था और कुछ कारकों के संदर्भ में दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतिमानकों के विपथन के कारण स्पष्ट नहीं किए गए थे। वीपीटी ने साध्यता रिपोर्ट की प्रति और इस संबंध में परामर्श किए जाने वाले उपयोक्ताओं/लघुसूचीयित बोलीदाताओं अथवा भावी आवेदकों की सूची भी नहीं भेजी थी। इसलिए, प्रस्ताव दिनांक 26 नवम्बर 2009 बृहत् प्रस्ताव दाखिल करने की सलाह के साथ पत्र दिनांक 4 दिसम्बर 2009 द्वारा वीपीटी को वापस भेज दिया गया था।

2. वीपीटी ने पहले प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कुछ बिन्दुओं को संबोधित करते हुए अपने पत्र दिनांक 6 जनवरी 2010 द्वारा संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया है।

3. प्रस्ताव की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:-

- (i). वीपीटी ने अपने आंतरिक हारबर में पूर्व घाट 1क में थर्मल कोयला और स्टीम कोयला की तटीय लदाई के लिए डीबीएफओटी आधार पर समेकित अभियंत्रिकृत लदाई टर्मिनल के रूप में टर्मिनल विकसित करने का प्रस्ताव किया है।
- (ii). प्रत्यक्ष फीचर:

(क).	प्रस्तावित बर्थ की लम्बाई	---	280 मी0
(ख).	अपरन चौड़ाई	---	22.5 मी0
(ग).	ड्राफ्ट	---	वीपीटी की गहरा करने की योजनाओं के साथ विधिवत् सिंक्रोनाइजिंग करते हुए स्तरों में 14 मी0 ड्राफ्ट पोतों को सेवा प्रदान करना।
(घ).	भंडारण क्षेत्र	---	67.00 लाख टन प्रतिवर्ष की स्टेकिंग क्षमता के साथ 25 एकड़।
- (iii). टर्मिनल की क्षमता:
 - (क). पत्तन ने क्लार्कसन रजिस्टरी के अनुसार पोत तैनाती पैटर्न के आधार पर हैंडी और हैंडीमेक्स पोतों (40000 डीडब्ल्यूटी) की 16 प्रतिशत हिस्सेदारी और पेनामेक्स पोतों (80000 डीडब्ल्यूटी) की 84 प्रतिशत हिस्सेदारी परिकल्पित की है।
 - (ख). आयातित स्टीम कोयला का 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष निकटवर्ती पत्तनों को तटीय संचलन के लिए वापस लदाई के रूप में परिकल्पित किया गया था।
 - (ग). सर्वोत्तम घाट क्षमता दिशानिर्देशों में प्रतिमानकों के अनुसार हैंडी और हैंडी आकार और पेनामेक्स पोतों तथा जलयान दिवस आउटपुट (लदाई दर) की क्षमता की प्रतिशत हिस्सेदारी के आधार पर उनकी तत्संबंधी स्टेकयार्ड क्षमता के निर्धारण के लिए दो कार्गो मर्दों की स्टेकिंग के लिए समान रूप से आर्बटित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

यार्ड क्षमता की गणना में देखे गए प्रतिमानकों से विपथनों और विपथनों के लिए वीपीटी द्वारा दिए गए कारणों को निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

मद	दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिमानक	वीपीटी द्वारा सुविचारित	विथनों के लिए वीपीटी द्वारा दिए गए कारण
I. थर्मल कोयला			
(i). मात्रा जो प्रति वर्ग मी० क्षेत्र स्टेक की जा सकेगी	3 टन प्रति वर्ग मी०	5 टन प्रति वर्ग मी०	कोई कारण नहीं दिए गए हैं।
(ii). टर्नओवर अनुपात	12	30	दिशानिर्देशों के अनुसार विराम समय प्रतिमानक 25 दिन है जोकि कार्गो के 12 घुमाव देता है। जैसाकि प्रमुख उपयोक्ता एजेंसियों में से निर्धारित है, पत्तन स्टॉकपाइल में 7 दिन कार्गो अपेक्षा (न्यूनतम वस्तुसूची) रहने की उम्मीद है और कार्गो पत्तन से हटाया जाएगा, जब कभी भी आयात किया जाएगा। इसलिए, 10 दिनों का विराम समय उपयुक्त माना गया है और इस आधार पर स्टॉकपाइल का टर्नओवर अनुपात 30 परिगणित होता है।
II. स्टीम कोयला			
(i). मात्रा जो प्रति वर्ग मी० क्षेत्र स्टेक की जा सकेगी	3 टन प्रति वर्ग मी०	4 टन प्रति वर्ग मी०	कार्गो की प्रकृति के मद्देनजर भार में हल्का और धूलपूर्ण कार्गो बिना नमी और 5 मी० की स्टेक ऊंचाई के (जैसाकि स्टीम कोयला आयातकों में से एक से लिया गया है, 4 टन कार्गो प्रति वर्ग मी० स्टेक लगाया जा सकता है)। (5 मी० x 0.833 प्रति घन मी०)
(ii). टर्नओवर अनुपात	12	30	मद सं. I (ii) में यथा उल्लिखित।

(ड). दिशानिर्देशों के अनुसार, सर्वोत्तम घाट और सर्वोत्तम स्टेकयार्ड क्षमता का निम्नतर अर्थात् 6.70 एमटीपीए अपफ्रंट प्रशुल्क का प्रस्ताव करने के लिए टर्मिनल की सर्वोत्तम क्षमता के रूप में माना गया है।

(iv). परियोजना की पूंजी लागत:

परियोजना की कुल पूंजी लागत रु0 26971.28 लाख अनुमानित की गई है। अपफ्रंट प्रशुल्क गणना में सुविचारित पूंजी लागत अनुमानों का ब्रेकअप नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:-

(रु0 लाखों में)

क्र. सं.	समूह		राशि
(1)	कार्गो प्रहस्तन गतिविधि		
	(क). सिविल निर्माण लागत	361.14	
	(ख). अभियांत्रिक और बिजली कार्य	18285.97	
	(ग). विविध (सिविल और अभियांत्रिक लागत का 5 प्रतिशत)	932.36	
	जोड़		19579.47
(2)	बर्थिंग गतिविधि		
	(क). बर्थ के निर्माण की लागत	5200.44	
	(ख). स्लोप सुरक्षा कार्यों की लागत	826.90	
	(ग). बर्थ जुड़नार	180.29	
	(घ). भूमि सुधार	590.84	
	(ड). बर्थ के समीप निकर्षण की लागत	593.34	
	जोड़		7391.81
	कुल परियोजना लागत		26971.28

(क). सिविल लागत के संबंध में, वीपीटी ने मौजूदा ढांचे को नष्ट करने की लिए लागत पर विचार किया है। इसके अलावा, इसने सिविल लागत के अधीन क्षेत्र अल्यूमिनेशन की लागत पर विचार किया है जिसे मानक सूची में अभियांत्रिक और बिजली कार्यों कल लागत के अधीन समूहित किया गया है और दूसरी तरफ इसने 'अभियंत्रिक और बिजली कार्यों' के अधीन दिशानिर्देशों में सिविल लागत के अधीन विनिर्दिष्ट स्थानांतरण टॉवरों की लागत विचार किया है। इसके अलावा, वीपीटी ने फरवरी 2008 के दिशानिर्देशों में सिविल कार्यों की मानक सूची में निर्धारित रेलवे ट्रैकों, कन्वेयर गैलेरियों, वैगन टिपलिंग स्टेशन अथवा डम्पर हाऊस, मार्शलिंग यार्ड, सड़कें, आदि की लागत पर विचार नहीं किया है।

(ख). वीपीटी ने सिवाय वैगन टिपलर और क्रेनों के दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रतिमानकों के अनुसार उपस्करों पर विचार किया है। 2 वैगन टिपलरों के प्रतिमानक के विपरीत, इसने 1 टविन वैगन टिपलर पर विचार किया है और पूंजी लागत अनुमानन में 2 सं. क्रेनों की लागत शामिल नहीं की है।

(ग). वीपीटी ने उल्लिखित किया है कि अनुमान 1 जून 2008 से लागू वीपीटी दर अनुसूची और 1 जून 2008 की वीपीटी दर अनुसूची में तैयार किए गए दर विश्लेषण और 1 जनवरी 2009 से प्रभावी अद्यतन संशोधन सं. 2 और मदों के लिए प्रचलित बाजार दरों/कोटेशनों जहां सिविल कार्यों के मामले में वीपीटी में दरें लागू नहीं हैं, के आधार पर तैयार किए गए हैं। निकर्षण की लागत मै0 डीसीआई द्वारा किए गए रु0 300/घन मीटर की दर के आधार पर परिगणित की गई है।

(v). प्रचालन लागत:

प्रचालन लागत दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार रु0 5131.51 लाख निर्धारित की गई है।

(vi). नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) अनुमानित पूंजी लागत पर 16 प्रतिशत परिकल्पित किया गया है।

(vii). वार्षिक राजस्व अपेक्षा:

प्रहस्तन गतिविधि से प्रस्तावित लदाई टर्मिनल के लिए वार्षिक राजस्व अपेक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की गई है जोकि निम्नवत् है:-

(रु0 लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	कुल वार्षिक प्रचालन लागत	5131.51
2.	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	3132.71
	वार्षिक राजस्व अपेक्षा	8264.22

(viii). वीपीटी ने दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व को नीचे दी गई विभिन्न प्रशुल्क मदों में प्रभाजित किया है:-

क्र.सं.	विवरण	रु० लाखों में
1.	प्रहस्तन प्रभार (98%)	8098.94
2.	भंडारण प्रभार (1%)	82.64
3.	विविध प्रभार (1%)	82.64

(ix). पत्तन ने टर्मिनल की क्षमता और प्रहस्तन प्रभारों से राजस्व अपेक्षा पर विचार करते हुए प्रहस्तन प्रभार प्रस्तावित किए हैं। थर्मल कोयला का सम्पूर्ण संचलन तटीय निर्यातों के रूप में अनुमानित किया गया है। स्टीम कोयला के संबंध में, इसने बताया है कि विदेशी कार्गो के लिए दर पड़ोसी पत्तनों पर लादे गए स्टीम कोयला के लिए लागू होगी क्योंकि कार्गो का मूल विदेशी है।

(x). प्रस्तावित संवेदनशील अभियंत्रित लदाई टर्मिनल के मद्देनजर, पत्तन ने दिशानिर्देशों में निर्धारित 25 दिनों के विपरीत 10 दिनों के बाद भंडारण प्रभारों का प्रस्ताव किया है।

(xi). भंडारण प्रभार यह परिकल्पित करते हुए अनुमानित किया गया है कि कार्गो क्षमता का 17 प्रतिशत, 5 दिनों की औसत अवधि के लिए, प्रस्तावित 10 दिनों की निःशुल्क अवधि के बाद भंडारण प्रभार आकर्षित करेगा।

(xii). बर्थ किराया:

(क). प्रस्तावित बर्थ किराया प्रभारों पर पहुंचने के लिए पत्तन द्वारा पूंजी लागत और प्रचालन लागत पर विचार किया गया है।

(ख). प्रचालन लागत में कम्पनी अधिनियम के अनुसार बर्थ के निर्माण की पूंजी लागत और मूल्यहास के 1 प्रतिशत पर मरम्मत और अनुरक्षण तथा बीमा को लिया गया है। प्रचालन लागत के ब्यौरे नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं:-

क्र. सं.	समूह	रु० लाखों में
(i).	मरम्मतें और अनुरक्षण (रु० 7391.81 लाख का 1 प्रतिशत)	73.92
(ii).	बीमा (रु० 7391.81 लाख का 1 प्रतिशत)	73.92
(iii).	मूल्यहास (रु० 7391.81 लाख का 3.34 प्रतिशत)	246.89
जोड़		394.73

(ग). राजस्व अपेक्षा प्रतिमानकों के अनुसार प्रचालन लागत जमा 16 प्रतिशत आरओसीई पर निर्धारित की गई है।

(घ). प्रस्तावित बर्थ किराया प्रभारों पर पहुंचने के लिए, पत्तन ने जलयान दिवस आउटपुट और पोतों के औसत पार्सल आकार के आधार पर थर्मल और स्टीम कोयला के लिए पोत की प्रत्येक श्रेणी के बर्थ अभिग्रहण कारक पर विचार किया है। इसने हैंडी और हैंडीमेक्स पोत का जीआरटी 22000 टन और पेनामेक्स पोत का जीआरटी 44000 टन परिकल्पित किया है।

(ङ). पत्तन रु० 0.89 प्रति जीआरटी प्रति घंटा के प्रस्तावित बर्थ किराया प्रभारों पर पहुंचा है। प्रस्ताव में यह बताया गया है कि प्रस्तावित प्रभार तटीय पोत के लिए है। विदेशी पोत के लिए दर तटीय पोत को उपलब्ध रियायत की सीमा (अर्थात् $0.89 \times 100 / 60$) तक तटीय दर में वृद्धि करते हुए निर्धारित की गई है। तदनुसार, विदेशी पोत के लिए दर रु० 1.487 प्रति जीआरटी प्रति घंटा प्रस्तावित की गई है।

(xiii). संक्षेप में, प्रस्तावित अपफ्रंट प्रशुल्क सीमा नीचे दी गई है:-

(क). बर्थ किराया

क्र.सं.	पोत	दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसका भाग	
		विदेशगामी पोत (रु० में)	तटीय पोत (रु० में)
1.	पोत	1.487	0.892

(ख). कार्गो प्रहस्तन प्रभार

(दर प्रति मीट्रिक टन)

क्र.सं.	घटक	दर रुपयों में	
		विदेशी	तटीय
1.	थर्मल कोयला	120.88	120.88
2.	स्टीम कोयला	120.88 *	72.53

* यह बताया गया है कि स्टीम कोयला विदेशी पत्तन से आयात किया जाता है और वीपीटी के बर्थों/बीओटी बर्थों पर उतारा जाता है और पड़ोसी पत्तनों के लिए वापस लादा जाता है विदेशी कार्गो माना जाता है क्योंकि कार्गो का मूल विदेशी होता है। तदनुसार, विदेशी के लिए दरें ऐसे कार्गो के लिए लागू होगी।

(ग). भंडारण प्रभार

(दर रुपयों में प्रति टन प्रतिदिन अथवा उसका भाग)

क्र.सं.	घटक	निःशुल्क अवधि के बाद रहने वाले शेष कार्गो के लिए प्रथम 5 दिनों हेतु दर	शेष कार्गो के लिए 6वें दिन से 10वें दिन के लिए दर	शेष कार्गो के लिए 11वें दिन से आगे के लिए दर
1.	थर्मल कोयला और स्टीम कोयला	1.45	2.90	5.80

टिप्पणी: 10 निःशुल्क दिवस स्वीकृत किए जाएंगे।

(घ). सफाई, धूल निवारण, पर्यावरण आदि के लिए विविध प्रभार – रु0 1.23/टन।

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, वीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 6 जनवरी 2010 संबद्ध उपयोक्ताओं/संगठन निकायों और आरएफक्यू आवेदकों (वीपीटी द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूची के अनुसार) को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। उपयोक्ताओं/संगठन निकायों और आरएफक्यू आवेदकों से प्राप्त टिप्पणियां प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में वीपीटी को अग्रेषित की गई थीं। वीपीटी ने उपयोक्ताओं/संगठन निकायों और आरएफक्यू आवेदकों की टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणियां भेजी हैं।

5. प्रस्ताव की प्राथमिक संवीक्षा के आधार पर, वीपीटी ने हमारे पत्र दिनांक 12 मार्च 2010 द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था। वीपीटी ने अपने ईमेल पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रस्ताव के साथ अपना जवाब भेजा है। हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्नों और उसपर वीपीटी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों का सार नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:-

क्र.सं.	हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न	वीपीटी का जवाब				
		कार्गो	पत्तन द्वारा प्रहस्तित	विजाग सीपोर्ट द्वारा प्रहस्तित		
(i).	पिछले तीन वर्षों 2006-07 से 2008-09 के दौरान पत्तन और निजी टर्मिनल प्रचालक विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में प्रहस्तित थर्मल कोयला और स्टीम कोयला पोतों का औसत जीआरटी, पार्सल आकार भेजें।	औसत जीआरटी	औसत पार्सल	औसत जीआरटी	औसत पार्सल	
		स्टीम कोयला (आयात)				
		2006-07	29420	41118	26059	32236
		2007-08	30827	40565	27790	35577
		2008-09	28646	45839	28162	35222
		थर्मल कोयला (निर्यात)				
		2006-07	27326	34877	--	--
		2007-08	27536	36880	--	--
		2008-09	24156	32329	--	--
		(ii).	क्षमता:			
	(क). पत्तन ने घाट क्षमता का निर्धारण करते समय केपसाइज पोत का कोई हिस्सा परिकल्पित नहीं किया है। ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाने वाला अपफ्रंट प्रशुल्क 30 वर्षों की समयावधि और पत्तन द्वारा अब और भविष्य में परिकल्पित गहरा करने की परियोजनाओं के लिए है, कृपया पुष्टि करें कि 30 वर्षों की परियोजना अवधि के दौरान केपसाइज पोतों के प्रहस्तन की उम्मीद नहीं है।	आंतरिक हारबर, चरण-III गहरा करना के बाद भी 14 मी0 डुबाव तक के पोत, केप साइज पोत जिनके लिए 18 मी0 डुबाव की आवश्यकता होती है, आंतरिक हारबर में प्रहस्तित किए जा सकते हैं।				

<p>(ख). पत्तन और निजी टर्मिनल प्रचालक अर्थात विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में भी पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रहस्तित किए गए स्टीम कोयला पोतों के आधार पर और प्रस्ताव में परिकल्पित वर्धित डुबाव पर विचार करते हुए पत्तन अपफ्रंट प्रशुल्क गणना में परिकल्पित पोत वितरण पैटर्न की हिस्सेदारी का औचित्य बताएं।</p>	<p>पोत वितरण पैटर्न हैंडीमेक्स और पेनामेक्स पोतों के लिए क्लार्कसन रजिस्टर (जनवरी 2008) के बल्क केरियर फ्लीट प्रोफाइल के आधार पर परिकल्पित किया गया था जोकि निम्नवत् है:-</p> <table border="1" data-bbox="853 291 1519 560"> <thead> <tr> <th>डीडब्ल्यूटी</th> <th>पोतों की सं.</th> <th>प्रतिशत हिस्सेदारी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40000 – 45000</td> <td>472</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>45000 – 50000</td> <td>500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>50000 – 60000</td> <td>620</td> <td></td> </tr> <tr> <td>60000 – 70000</td> <td>445</td> <td></td> </tr> <tr> <td>70000 – 80000</td> <td>876</td> <td></td> </tr> <tr> <td>जोड़</td> <td>2441</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>पोतों की कुल सं.</td> <td>2913</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	डीडब्ल्यूटी	पोतों की सं.	प्रतिशत हिस्सेदारी	40000 – 45000	472	16	45000 – 50000	500		50000 – 60000	620		60000 – 70000	445		70000 – 80000	876		जोड़	2441	84	पोतों की कुल सं.	2913	100
डीडब्ल्यूटी	पोतों की सं.	प्रतिशत हिस्सेदारी																							
40000 – 45000	472	16																							
45000 – 50000	500																								
50000 – 60000	620																								
60000 – 70000	445																								
70000 – 80000	876																								
जोड़	2441	84																							
पोतों की कुल सं.	2913	100																							
<p>(ग). पत्तन ने यह उद्धरित करते हुए स्टीम कोयला और थर्मल कोयला के लिए स्टेकिंग कारक डिस्टिंग्विश किया है कि स्टीम कोयला धूलपूर्ण कार्गो है और वजन में हल्का है। तथापि, स्टीम कोयले की लदाई दर में पत्तन द्वारा इसपर विचार नहीं किया गया है।</p>	<p>प्रहस्तन दर में भी अन्तर है।</p>																								
<p>(घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान थर्मल कोयला की स्टेकिंग के संदर्भ में पत्तन द्वारा अर्जित स्टेकिंग ऊंचाई भेजे।</p>	<p>अर्जित औसत स्टेक ऊंचाई 4 से 5 मीटर है। तथापि, कुछ आयातक 8 मी0 ऊंचाई तक भी स्टेक लगाते हैं।</p>																								
<p>(ङ). 5 टन/वर्ग मी0 के स्टेकिंग कारक पर पहुंचने के लिए सुविचारित कार्गो का घनत्व और टनों/वर्ग मी0 में स्टेकिंग कारक स्पष्ट करें। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्राधिकरण ने तूतीकोरिन पत्तन न्यास में कोयला टर्मिनल (थर्मल कोयला) के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करते समय तूतीकोरिन पत्तन न्यास द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर 6.6 टन/वर्ग मी0 की स्टेक ऊंचाई पर विचार किया था। जब 6.6 टन/वर्ग मी0 की स्टेक ऊंचाई टीपीटी द्वारा अर्जित की जा सकती है, तो कारण बताएं कि वीपीटी के मामले में इसे अंगीकृत क्यों नहीं किया जा सकता। अतः गणना में परिकल्पित स्टेकिंग कारक की उपर्युक्त टिप्पणी के आलोक में समीक्षा करें।</p>	<p>थर्मल कोयला का बल्क घनत्व 0.71 टन प्रति घन है, 7 मीटर की स्टेक ऊंचाई पर विचार करते हुए धूल बेरियर के रूप में 7 मी0 ऊंची कम्पाउंड दीवार निर्मित की जा रही है। 7 मीटर की स्टेकिंग ऊंचाई पर विचार करते हुए, 5 टन प्रति वर्ग मी0 (7 मी0 x 0.71 टन/घन) स्टेक लगाया जा सकता है। स्टीम कोयले के संबंध में, कार्गो की प्रकृति बिना नमी के भार में हल्का और धूलपूर्ण कार्गो है, 5 मीटर की स्टेक ऊंचाई स्टीम कोयले के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण की वजह से सुविचारित किया गया 0.833 टन/घन है। स्टेकिंग कारक 4 टन प्रति वर्ग मी0 परिगणित किया गया है।</p> <p>इसके अलावा, तूतीकोरिन पत्तन के साथ इस सुविधा की तुलना करना सही नहीं होगा क्योंकि यह मृदा के प्रकार और इसके विकास पर निर्भर करता है।</p>																								
<p>(च). यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश कोई प्रतिमानक निर्धारित नहीं करते हैं न ही भंडारण प्रयोजन के लिए प्रचालक को आबंटित किए जाने वाले क्षेत्र पर पत्तन पर कोई रोक लगाता है। अपेक्षा अनुमानित क्षमता के प्रहस्तन के लिए अपेक्षित क्षेत्र पर विचार करना है। सर्वोत्तम घाट और सर्वोत्तम यार्ड क्षमता के बीच देखे गए भारी अन्तर के मद्देनजर, पत्तन भंडारण के लिए आबंटित किए जाने वाले क्षेत्र में वृद्धि करते हुए और सर्वोत्तम यार्ड क्षमता के निर्धारण में सुविचारित अन्य पैरामीटरों में भी सुधार करते हुए यार्ड क्षमता में सुधार की संभावनाओं की जांच करें।</p>	<p>समीक्षा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि संशोधित प्रस्ताव में घाट और यार्ड क्षमता के बीच बेमेल नहीं है।</p>																								
<p>(iii). पूंजी लागत:</p>																									
<p>(क). पूंजी लागत अनुमान 1 जनवरी 2009 से प्रभावी संशोधन के साथ 1 जून 2008 से लागू दर अनुसूची पर आधारित हैं और अन्य मदों के लिए, जिनके लिए दरें उपलब्ध नहीं हैं, प्रचलित बाजार दर अंगीकृत की गई हैं। प्रचलित बाजार के आधार पर पूंजी लागत के</p>	<p>सिविल लागत के लिए भेजे गए लागत अनुमान 1 जनवरी 2010 को अद्यतन संशोधनों के साथ दर अनुसूची पर आधारित हैं। मदों के लिए, जो एसआर में उपलब्ध नहीं हैं, जनवरी 2010 को प्रचलित बाजार दरें हैं, अंगीकृत की गई हैं। बजटीय ऑफर प्राप्त की गई है और अप्रैल 2010 को प्रचलित जरूरी टैक्स और शुल्कों</p>																								

<p>अनुमान अद्यतन करें।</p> <p>(ख). विशिष्ट सलाह के बाजवूद, पत्तन ने सिविल और उपस्कर लागत के अनुमानन में अंगीकृत इकाई का दस्तावेजी समर्थन नहीं भेजा है। परियोजना साध्यता रिपोर्ट में अनुमानों की वैधता वाले दस्तावेजों को शामिल नहीं किया गया है। सिविल और उपस्कर लागत दोनों के अनुमानों को तर्कसंगत ठहराने के लिए समर्थक दस्तावेजों/गणना/दर विश्लेषण/बजटीय कोटेशनों, बाजार दरों की प्रतियां भेजें।</p>	<p>को विधिवत् लागू करते हुए अद्यतन किया गया है।</p> <p>सिविल लागतों के अनुमानन में अंगीकृत इकाई दरों का दस्तावेजी समर्थन और सिविल लागतों को अनुमानों को तर्कसंगत ठहराने के लिए समर्थक दस्तावेजों/गणना/दर विश्लेषण/बजटीय कोटेशनों की प्रतियां भेजी गई हैं। अभियांत्रिक उपस्कर के संबंध में, जलयान लोडर, रिक्लेमर, स्टेकर और एचएमसी के लिए प्राप्त किए गए बजटीय ऑफरों को भेजा गया है।</p>																																				
<p>(ग). ₹0 68.38 लाख पर बर्थ अपरन और दृष्टिकोण के लिए पूंजी लागत का अनुमान लगाने का आधार स्पष्ट करें।</p>	<p>बर्थ अपरन और पहुंचमार्ग में बर्थ अपरन एवम् पहुंचमार्गों के हिस्से का सुदृढीकरण जिसमें पहुंचमार्गों और बर्थ लोकेशन पर कार्गो प्रहस्तन गतिविधि के लिए भूतल को मजबूत करना शामिल है। ये सभी गतिविधियां चिह्नित और शीर्ष के अधीन परिगणित की गई हैं जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-</p> <table border="1" data-bbox="858 667 1433 1675"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>मात्रा</th> <th>दर</th> <th>जोड़</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क्षेत्रों में एक्सवेशन में भूमि कार्य</td> <td>510 मी⁰</td> <td>93.60</td> <td>47,736</td> </tr> <tr> <td>ग्रेवल/मोरम के साथ आपूर्ति करना और भराई करना</td> <td>638 मी⁰</td> <td>447.45</td> <td>2,85,473</td> </tr> <tr> <td>11 कि०मी० तक डाबरी/खोदी गई मिट्टी का परिवहन</td> <td>510 मी⁰</td> <td>163.57</td> <td>8,34,207</td> </tr> <tr> <td>मूरम/ग्रेवल के साथ 300 मि०मी० मोटा उप-आधार उपलब्ध करवाना</td> <td>764 मी⁰</td> <td>769.50</td> <td>5,87,898</td> </tr> <tr> <td>225 मि०मी० मोटा जल बद्ध मकादम उपलब्ध करवाना और बिछाना</td> <td>574 मी⁰</td> <td>1344.20</td> <td>7,71,571</td> </tr> <tr> <td>हाई स्ट्रेंथ एम-50 ग्रेड प्रिकास्ट ब्लॉकों की आपूर्ति करना और बिछाना। 200x100x100मि०मी०</td> <td>2548 मी⁰</td> <td>824.90</td> <td>21,01,845</td> </tr> <tr> <td colspan="3">215 मी० की बर्थ लम्बाई के लिए जोड़</td> <td>46,34,730</td> </tr> <tr> <td colspan="3">280 मी० की बर्थ लम्बाई के लिए जोड़</td> <td>60,35,927 या कर्हें 60.35 लाख</td> </tr> </tbody> </table> <p>जोड़ें: 3 प्रतिशत आकस्मिकताएं, 7 प्रतिशत परियोजना पर्यवेक्षण प्रभार और 2.8 प्रतिशत कार्य करार कर।</p>	विवरण	मात्रा	दर	जोड़	क्षेत्रों में एक्सवेशन में भूमि कार्य	510 मी ⁰	93.60	47,736	ग्रेवल/मोरम के साथ आपूर्ति करना और भराई करना	638 मी ⁰	447.45	2,85,473	11 कि०मी० तक डाबरी/खोदी गई मिट्टी का परिवहन	510 मी ⁰	163.57	8,34,207	मूरम/ग्रेवल के साथ 300 मि०मी० मोटा उप-आधार उपलब्ध करवाना	764 मी ⁰	769.50	5,87,898	225 मि०मी० मोटा जल बद्ध मकादम उपलब्ध करवाना और बिछाना	574 मी ⁰	1344.20	7,71,571	हाई स्ट्रेंथ एम-50 ग्रेड प्रिकास्ट ब्लॉकों की आपूर्ति करना और बिछाना। 200x100x100मि०मी०	2548 मी ⁰	824.90	21,01,845	215 मी० की बर्थ लम्बाई के लिए जोड़			46,34,730	280 मी० की बर्थ लम्बाई के लिए जोड़			60,35,927 या कर्हें 60.35 लाख
विवरण	मात्रा	दर	जोड़																																		
क्षेत्रों में एक्सवेशन में भूमि कार्य	510 मी ⁰	93.60	47,736																																		
ग्रेवल/मोरम के साथ आपूर्ति करना और भराई करना	638 मी ⁰	447.45	2,85,473																																		
11 कि०मी० तक डाबरी/खोदी गई मिट्टी का परिवहन	510 मी ⁰	163.57	8,34,207																																		
मूरम/ग्रेवल के साथ 300 मि०मी० मोटा उप-आधार उपलब्ध करवाना	764 मी ⁰	769.50	5,87,898																																		
225 मि०मी० मोटा जल बद्ध मकादम उपलब्ध करवाना और बिछाना	574 मी ⁰	1344.20	7,71,571																																		
हाई स्ट्रेंथ एम-50 ग्रेड प्रिकास्ट ब्लॉकों की आपूर्ति करना और बिछाना। 200x100x100मि०मी०	2548 मी ⁰	824.90	21,01,845																																		
215 मी० की बर्थ लम्बाई के लिए जोड़			46,34,730																																		
280 मी० की बर्थ लम्बाई के लिए जोड़			60,35,927 या कर्हें 60.35 लाख																																		
<p>(घ). दिशानिर्देशों में निर्धारित मानक सूची में बिजली कार्य अभियांत्रिक और बिजली उपस्कर के अधीन समूहित किया गया है। सिविल लागत में क्षेत्र अल्यूमिनेशन के लिए ₹0 46.72 लाख शामिल है जोकि दिशानिर्देशों में निर्धारित मानक सूची के अनुसार नहीं है। चूंकि अभियंत्रिक उपस्कर के अनुमानन में बिजली कार्गो और लाइटिंग के लिए ₹0 339.89 लाख पहले ही</p>	<p>टीएएमपी द्वारा की गई टिप्पणी सही है और क्षेत्र अल्यूमिनेशन के लिए घटक बिजली पावर और कंट्रोल स्विच गियर्स आदि के अधीन शामिल किया गया है।</p>																																				

	शामिल किया गया है। क्षेत्र अल्यूमिनेशन के लिए सिविल लागत के अधीन रु0 46.72 लाख का अनुमान लगाने के कारण स्पष्ट करें।	
	(ड). अंतरण टावर दिशानिर्देशों में सिविल कार्य की सूची के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए गए हैं। पत्तन ने इस मद को प्रहस्तन उपस्कर के अधीन सुविचारित किया है जोकि दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है।	अंतरण टॉवरों की लागत अभी तक सिविल निर्माण लागत के अधीन सुविचारित की जाती रही है।
	(च). हालांकि उपस्कर लागत में दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार वैगन टिपलर शामिल है, परंतु सिविल लागत में रेल ट्रैकों और वैगन टिपलिंग स्टेशन अथवा डम्पर हाऊसों की लागत शामिल नहीं की गई है। इसके अलावा, दिशानिर्देशों में सिविल कार्यों की मानक सूची में निर्धारित कन्वेयर गैलेरियों, मार्शलिंग यार्ड, सड़कों, आदि की लागत भी शामिल नहीं की गई है। पत्तन दोबारा पुष्टि करें कि ये सिविल कार्य (दिशानिर्देशों में उल्लिखित) पत्तन द्वारा परिकल्पित नहीं किए गए हैं।	वीपीटी द्वारा हाल ही में स्टेकिंग क्षेत्र में पांच रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं जिसे उपयोक्ता द्वारा उपयोग किया जा सकता है। वैगन टिपलिंग स्टेशन अथवा डम्पर हाऊसों के संबंध में, बर्थ के बैकअप क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान में भवन/शैड नष्ट किए जाने हैं जिसे डम्पर हाऊसों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सड़के बिछाने के लिए सिविल कार्यों की लागत के संबंध में, यह कहना है कि पहले से मौजूद और हाल ही में बिछाई गई सड़कें और खाली भवन हैं। कन्वेयर गैलेरी से संबंधित सिविल कार्यों के संबंध में, यह कहना है कि भूमि सुधार के लिए रु0 5.22 करोड़ की राशि आबंटित की गई है जिसमें कन्वेयर गैलेरी और अंतरण टॉवरों के लिए फाऊंडेशन शामिल है। भूमि सुधार के लिए रु0 7.90 करोड़ की लागत, जो बर्थ गतिविधि के अधीन सुविचारित की गई थी, दिशानिर्देशों के अनुसार प्रहस्तन गतिविधि के अधीन सुविचारित की जाती रही है।
	(छ). बर्थ किराया गतिविधि के अधीन सिविल लागत में स्लोप सुरक्षा कार्यों, बर्थ जुड़नारों और भूमि सुधार की लागत शामिल है। पुष्टि करें कि ये मदें बर्थ निर्माण लागत का हिस्सा है क्योंकि दिशानिर्देश वैयक्तिक मदों को सूचीबद्ध नहीं करते हैं।	यह पुष्टि की गई है कि स्लोप सुरक्षा कार्यों और बर्थ जुड़नारों की लागत बर्थ निर्माण की लागत होगी। भूमि सुधार के संबंध में, संशोधित प्रस्ताव में लागत प्रहस्तन गतिविधि के अधीन सुविचारित की गई है।
(iv).	प्रचालन लागत:	
	(क). फरवरी 2009 में बहुउद्देशीय कार्गो टर्मिनल के अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण में सुविचारित बिजली की इकाई दर वर्तमान प्रस्ताव में रु0 6.20 थी। पत्तन ने यही इकाई दर अंगीकृत की है। पुष्टि करें कि क्या सुविचारित बिजली की इकाई दर प्रचलित दर है और इसे हाल ही के बिजली बिल की प्रति से प्रमाणित करें।	बिजली की इकाई दर अर्थात रु0 6.20 प्रचलित दर है।
	(ख). अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुसार, लाइसेंस शुल्क संबद्ध महापत्तन न्यासों के दरमान में निर्धारित दरों के अनुसार अनुमानित की जानी चाहिए। अंगीकृत आधार दर की गणना के साथ आधार जिसपर जोन-1सी के लिए लाइसेंस शुल्क की इकाई दर का अनुमान लगाया है और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू की गई वार्षिक वृद्धि स्पष्ट करें। प्राधिकरण ने जोन 1ख के लिए पट्टा किराया निर्धारित नहीं किया है। इस जोन में आबंटित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के लिए पट्टा किराये का अनुमान लगाने के लिए अंगीकृत आधार स्पष्ट करें।	जोन-1ख के मामले में, प्राधिकरण ने उस जोन के लिए पट्टा किराया निर्धारित नहीं किया है। परंतु, समीपवर्ती जोन अर्थात जोन-1क जिसकी दर रु0 2215 प्रति वर्ग गज अर्थात रु0 2650 प्रति वर्ग मी0 है जिसे टीएएमपी द्वारा जोन-1ग के लिए 2003-08 के लिए अनुमोदित दर रु0 2400 प्रति वर्ग गज (रु0 2870 प्रति वर्ग मी0) है जिसपर अब विचार किया गया है। चूंकि 2008-13 अवधि के लिए मूल्यांकन अभी निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए 2 प्रतिशत वृद्धि जारी है। (जोन-1ख और 1ग के लिए पट्टा किराया का गणना पत्रक भेजा गया है।)
(v).	थर्मल कोयला और स्टीम कोयला के लिए एकसमान प्रहस्तन दर प्रस्तावित करने के कारण, जब इन दोनों कार्गो मदों के लिए प्रहस्तन दरें भिन्न-भिन्न हों, स्पष्ट करें।	कार्गो के घनत्व के कारण प्रहस्तन दर भिन्न है। तथापि, दोनों प्रकार के कार्गो के लिए समान उपस्कर और अन्य अवसंरचना इस्तेमाल की जाती है। इसलिए, यह एकल दर प्रस्तावित करने का आधार है। इसके अलावा, जीसीबी के मामले में एकसमान प्रहस्तन दर कोकिंग कोयले और स्टीम कोयले के लिए परिगणित

		की गई है।
(vi).	समीपवर्ती पत्तनों को स्टीम कोयले के तटीय संचलन के लिए प्रहस्तन प्रभार में रियायती प्रशुल्क स्वीकृत नहीं करने के लिए पत्तन का प्रस्ताव सरकार द्वारा परिकल्पित तटीय रियायत नीति जिसे आदेश सं. टीएएमपी/4/2004—सामान्य दिनांक 7 जनवरी 2005 और अनुवर्ती संशोधन दिनांक 15 जनवरी 2005 द्वारा अधिसूचित किया गया है, के अनुसार नहीं पाया गया है। चूंकि स्टीम कोयले का सम्पूर्ण कार्गो तटीय संचलन के लिए वापस लदाई रूप में परिकल्पित किया गया है, इसलिए इसे प्रशुल्क वसूली के प्रयोजन के लिए तटीय कार्गो के रूप में माना गया है। चूंकि प्रहस्तित किए जाने वाले दोनों घटक तटीय हैं इसलिए विपथित दरें तटीय दरों के रूप में ली जाएं। विदेशी कार्गो के लिए दर निर्धारित करने के लिए इस मामले में केवल कृत्रिम हो सकता है क्योंकि पत्तन ने कोई विदेशी संचलन परिकल्पित नहीं किया है।	स्टीम कोयले की सम्पूर्ण वापस लदाई अब तटीय संचलन के रूप में सुविचारित की गई है क्योंकि तटीय संचलन और तदनुसार 60 प्रतिशत रियायत प्रहस्तन दर निर्धारित करते समय परिगणित की गई है।
(vii).	हालांकि पत्तन ने बर्थ किराये और समेकित प्रहस्तन प्रभार (स्टीम कोयला) में तटीय पोत/तटीय कार्गो के लिए रियायती दरों पर पहुंचने के समय सुविचारित नहीं किया गया है। पत्तन पुष्टि करे कि उसे प्रस्तावित सुविधा के लिए विदेशी पोत/कार्गो के प्रहस्तन होने की उम्मीद नहीं है।	यह पुष्टि की गई है कि प्रस्तावित सुविधाओं पर विदेशी पोत/कार्गो प्रहस्तित किया जाएगा।
(viii).	घाट क्षमताओं के निर्धारण के समय थर्मल कोयला केवल पेनामेक्स पोत द्वारा और स्टीम कोयला केवल हैंडी/हैंडीमेक्स पोतों द्वारा प्रहस्तित किया जाना परिकल्पित किया गया है। जबकि बर्थ किराये की गणना के समय इन कार्गो मदों की प्रत्येक मद के लिए पेनामेक्स और हैंडी/हैंडी मिश्रण पोतों का मिश्रण सुविचारित किया गया है और बर्थ किराया गणना में सुविचारित अंगीकृत पोत की हिस्सेदारी और पोत की हिस्सेदारी घाट क्षमता गणना में परिकल्पित से भिन्न पाई गई है। प्रस्ताव में असमानता ठीक करें।	दोनों कार्गो के लिए, हैंडी मेक्स के लिए 16 प्रतिशत हिस्सेदारी और पेनामेक्स पोतों के लिए 84 प्रतिशत हिस्सेदारी, प्रस्ताव में यथा स्पष्ट, पर विचार किया गया है।
(ix).	कृपया यह दर्शाने के लिए विश्लेषण भेजें कि कार्गो क्षमता का 17 प्रतिशत भंडारण प्रभार आकर्षित करेगा। भंडारण प्रभार आकर्षित करने की संभावना वाले कार्गो क्षमता के निर्धारण के लिए परिकल्पित औसत विराम समय दर्शाएं।	23 प्रतिशत कार्गो जो भंडारण प्रभार आकर्षित करता है, निम्नवत् निर्धारित किया गया है:- विराम समय : 10 दिन निःशुल्क अवधि : 5 दिन बर्थ में पोत का विराम : 2.75 दिन दिन जो भंडारण आकर्षित करेगा : 2.3 दिन प्रतिशत कार्गो जो भंडारण आकर्षित करेगा : 23 प्रतिशत (2.3/10 दिन x 100)
(x).	वर्तमान बाजार स्थिति दर्शाने के लिए पूंजी लागत अनुमान अद्यतन किए जाएं और अपफ्रंट प्रशुल्क में सूचकांकन 1 जनवरी 2010 के संदर्भ में होगा।	परिगणित दरें 1 जनवरी 2010 को दर अनुसूची पर आधारित हैं।

- 6.1. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 17 मार्च 2010 को वीपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। वीपीटी ने अपने प्रस्ताव का पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया था। संयुक्त सुनवाई में, संबद्ध उपयोक्ताओं/संगठन निकायों/संभावी बोलीदाताओं ने अपने निवेदन रखे थे।
- 6.2. संयुक्त सुनवाई में, वीपीटी से निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाई करने की सलाह दी गई थी:-
- पत्तन से मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरणों पर वीपीटी का विस्तृत प्रतिसाद।
 - वीपीटी को घाट और यार्ड क्षमताओं के बीच बेमेल को दूर करने के लिए अपने प्रस्ताव पुनर्विचार करना होगा।

वीपीटी को प्रतिसाद के लिए एक सप्ताह (अर्थात) 23 मार्च 2010 तक का समय दिया गया था।

6.3. मै0 आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड को उसके द्वारा यथा सहमत उसकी लिखित टिप्पणियों के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था। तथापि, इस मामले को अंतिम रूप दिए जाने तक उनसे कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थीं।

6.4. संयुक्त सुनवाई में निर्णीत बिन्दुओं के संदर्भ में, वीपीटी ने संशोधित प्रस्ताव के साथ अपने पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2010 द्वारा अपना जवाब भेजा था। जब सिविल लागत के अनुमानन में विसंगतियां पत्तन को बताई गई थीं तो वीपीटी ने स्पष्टीकरण दिनांक 27 अप्रैल 2010 द्वारा अनुसरित अपने पत्रों दिनांक 15 अप्रैल 2010 और 24 अप्रैल 2010 द्वारा किए गए मुख्य संशोधन नीचे सारबद्ध किए गए हैं:-

- (i). मूल प्रस्ताव में, घाट क्षमता और यार्ड क्षमता 9.40 मिलियन टन और 6.70 मिलियन टन निर्धारित किए गए थे। संशोधित प्रस्ताव में, यार्ड क्षमता संशोधित कर 7.36 मिलियन टन और घाट क्षमता 7.82 मिलियन टन की गई है। 7.36 मिलियन की यार्ड क्षमता सीमित कारक होने की वजह से, वीपीटी ने सर्वोत्तम टर्मिनल क्षमता 7.36 मिलियन टन की है। घाट क्षमता गणना में, हैंडीमेंक्स पोतों और पेनामेक्स पोतों द्वारा थर्मल कोयला के लिए प्रहस्तन दरें 20,000 टन और 40,000 टन के तत्संबंधी प्रतिमानक के विपरीत क्रमशः 15,000 टन और 27,000 टन प्रतिदिन पर विचार किया है।
- (ii). रु0 68.38 लाख पर पहले अनुमानित बर्थ अपरन और पहुंचमार्ग की लागत सांख्यिक त्रुटि के सुधार की वजह से संशोधित कर रु0 57.21 लाख किया गया है।
- (iii). बर्थिंग सेवाओं की पूंजी लागत के अधीन इसके द्वारा पहले सुविचारित भूमि सुधार के लिए रु0 590.84 लाख की अनुमानित लागत अनुमान में संशोधन के कारण रु0 673.75 लाख के उच्चतर स्तर पर कार्गो प्रहस्तन गतिविधि की सिविल लागत के अधीन अब सुविचारित किया गया है।
- (iv). कार्गो प्रहस्तन गतिविधि की सिविल लागत के अधीन पहले सुविचारित क्षेत्र अल्यूमिनेशन के लिए रु0 46.72 लाख की लागत अब उपस्करों की मानक सूची के अधीन सूचीबद्ध बिजली पावर ओर नियंत्रण स्विच गियरों की अनुमानित लागत के साथ अब जोड़ा गया है।
- (v). उपस्कर की पूंजी लागत जोकि उपस्करों की मानक सूची के अधीन नहीं है, के अधीन पहले सुविचारित रु0 192.61 लाख के अंतरण टॉवरों की अनुमानित लागत अब कार्गो प्रहस्तन गतिविधि की सिविल लागत के अधीन सुविचारित की गई है।
- (vi). 2 संख्या जलयान लोडरों की लागत के लिए रु0 3965.36 लाख की पहले अनुमानित राशि संशोधित कर रु0 4937.43 लाख की गई है।
- (vii). वीपीटी ने पहले रिक्लेमर और स्टेकर प्रत्येक की 2 संख्याओं का प्रस्ताव किया था, जोकि दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार है। संशोधित प्रस्ताव में, पत्तन ने 1 रिक्लेमर और 1 स्टेकर और 1 स्टेकर-सह-रिक्लेमर का प्रस्ताव किया है। स्टेकर-सह-रिक्लेमर उपस्करों की मानक सूची में शामिल नहीं है। रिक्लेमरों और स्टेकरों की कुल लागत 1 रिक्लेमर, 1 स्टेकर और 1 स्टेकर-सह-रिक्लेमर की लागत की पूर्ति के लिए रु0 6117.98 लाख से संशोधित कर रु0 8970.78 लाख की गई है।
- (viii). वैगन टिपलर की पहले अनुमानित लागत रु0 1699044 लख से संशोधित कर रु0 2447.20 लाख की गई है।
- (ix). उपर्युक्त संशोधनों के परिणामस्वरूप, बर्थिंग सेवा, कार्गो प्रहस्तन सेवा की पूंजी लागत और कुल पूंजी लागत पत्तन द्वारा संशोधित किए गए हैं। कुल पूंजी लागत रु0 269.71 करोड़ से संशोधित कर रु0 313.39 करोड़ की गई है।
- (x). प्रचालन लागत का अनुमानन भी संशोधित पूंजी लागत अनुमानन के संदर्भ में संशोधित किया गया है।
- (xi). यह प्रस्ताव वैगनों से कार्गो की लदाई, स्टेकयार्ड में कार्गो की स्टेकिंग और स्टेकयार्ड से कार्गो की रिक्लेमिंग और जलयान पर लदाई परिकल्पित करता है।
- (xii). संशोधित वार्षिक राजस्व अपेक्षा नीचे दी गई है:-

(रु0 लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	कार्गो प्रहस्तन के लिए	बर्थ किराये के लिए
1.	पूंजी लागत		
	(क). सिविल	1169.62	6262.16
	(ख). अभियांत्रिक और बिजली उपस्कर	22712.71	--
	(ग). विविध	1194.12	--
	कुल पूंजी लागत	25076.45	6262.16
2.	टारओसीई 16 प्रतिशत	4012.23	1001.95
3.	प्रचालन लागत	6321.66	334.40
4.	कुल राजस्व अपेक्षा	10333.89	1336.35

- (xiii). निःशुल्क भंडारण अवधि संशोधित कर 10 दिन से 5 दिन किया गया है।
 (xiv). अनुमानित वार्षिक राजस्व अपेक्षा की पूर्ति के लिए वीपीटी द्वारा प्रस्तावित अपफ्रंट प्रशुल्क निम्नवत् है:-
 (क). बर्थ किराया प्रभार:

दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसका भाग
विदेशगामी दर (रु० में)
0.57

- (ख). थर्मल कोयला और स्टीम कोयला प्रहस्तन प्रभार:

(दर रुपयों में प्रति टन)

कार्गो	विदेशी	तटीय
थर्मल कोयला	167.26	167.26
स्टीम कोयला	167.26	100.36

- (ग). भंडारण प्रभार (निःशुल्क अवधि के बाद)

निःशुल्क अवधि: 5 दिन

निःशुल्क अवधि के बाद रहने वाले शेष कार्गो के लिए भंडारण प्रभार

क्र.सं.	विवरण	दर रुपयों में प्रति टन प्रतिदिन अथवा उसका भाग
1.	पहले 5 दिनों के लिए	1.22
2.	6वें से 10वें दिन	1.83
3.	11वें दिन से आगे	2.44

- (घ). सफाई, धूल निवारण, पर्यावरण आदि सेवाओं को कवर करने के लिए विविध प्रभार रु० 1.40 प्रति टन पर प्रस्तावित किया गया है।

7. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग-से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

8. मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:-

- (i). यह प्रस्ताव सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर विकसित किए जाने वाले विशाखापत्तनम पतन न्यास (वीपीटी) में प्रस्तावित अभियंत्रिकृत टर्मिनल में तटीय संचलन के लिए थर्मल कोयला और स्टीम कोयला के प्रहस्तन के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क सीमा निर्धारित करने के लिए है। यह प्रस्ताव फरवरी 2008 में पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमएसआरटीएच) द्वारा जारी किए गए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण के लिए दिशानिर्देशों पर आधारित है।
- (ii). विषय प्रस्ताव पर हुई संयुक्त सुनवाई के बाद, वीपीटी ने अपने पत्रों दिनांक 15 अप्रैल 2010 और 24 अप्रैल 2010 द्वारा अपना प्रस्ताव संशोधित किया है जिसमें पूंजी लागत संशोधित कर रु० 313.39 करोड़ की गई है और सर्वोत्तम क्षमता संशोधित कर 7.36 मिलियन टन की गई है। मामले की कार्यवाही के दौरान प्रेषित सूचना/स्पष्टीकरणों के साथ संशोधित प्रस्ताव दिनांक 24 अप्रैल 2010 पर इस विश्लेषण में विचार किया गया है।
- (iii). वीपीटी ने सामान्यतः अधिसूचना सं. टीएएमपी/52/2007-विविध दिनांक 26 फरवरी 2008 द्वारा अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। कुछ प्रतिमानकों/पैरामीटरों में प्रस्तावित विपथनों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।
- (iv). सर्वोत्तम टर्मिनल क्षमता:
 (क). सर्वोत्तम घाट क्षमता:
 वीपीटी ने 7.36 मिलियन टन प्रतिवर्ष पर अभियंत्रिकृत कोयला प्रहस्तन टर्मिनल की सर्वोत्तम घाट क्षमता निर्धारित की है। आंतरिक हारबर में मसौदा भिन्नताएं उद्धरित करते हुए, वीपीटी ने घाट क्षमता के निर्धारण के लिए केपसाइज पोतों के प्रहस्तन पर विचार नहीं किया है। पत्तन ने क्लार्कसन रजिस्टरी (जनवरी 2008) के बल्क केरियर फ्लीट प्रोफाइल के आधार पर पेनामेक्स और हैंडीमेक्स पोतों की क्षमता की हिस्सेदारी परिकल्पित की है।

उत्पादकता के संदर्भ में, दिशानिर्देशों में निर्धारित लदाई प्रतिमानकों के अनुसार पेनामेक्स पोतों के लिए 40,000 टन और हैंडीमेक्स पोतों के लिए 20,000 टन प्रतिदिन की प्रहस्तन दर थर्मल कोयला के लिए पत्तन द्वारा सुविचारित की गई है। तथापि, कार्गो की हल्की प्रकृति उद्धरित करते हुए स्टीम कोयले के लिए लदाई प्रतिमानक पेनामेक्स के लिए 40,000 टन प्रतिदिन से 27,000 टन प्रतिदिन और हैंडीमेक्स पोतों के लिए 20,000 टन प्रतिदिन से 15,000 टन प्रतिदिन का प्रस्ताव किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि कोयले के कई ग्रेड और श्रेणियां हैं परंतु दिशानिर्देश प्रतिमानक कोयले के विभिन्न प्रकारों के लिए विभिन्न प्रहस्तन दरें निर्धारित नहीं करते हैं। कि कोयले की प्रकृति उत्पादकता/प्रहस्तन दर को प्रभावित करेगी को इस प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2009 द्वारा वीपीटी में कोकिंग कोयला और स्टीम कोयला तालमेल के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करते समय स्वीकार किया गया था। उक्त आदेश में, स्टीम कोयले की प्रहस्तन दर 27000 टन प्रतिदिन ली गई थी। यही स्थिति इस कार्गो में भी बनाए रखी गई है। वीपीटी द्वारा प्रस्तावित 15,000 टन प्रतिदिन पर हैंडीमेक्स पोत द्वारा स्टीम कोयले के लिए प्रहस्तन दर पर विश्वास किया गया है।

(ख). सर्वोत्तम यार्ड क्षमता:

(i). अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट करते हैं कि यार्ड क्षमता विकास के लिए पत्तन द्वारा उपलब्ध करवाए गए यार्ड क्षेत्र के लिए निर्धारित किए जाने हेतु है। वीपीटी ने सुविधा के लिए आबंटित किए जाने के लिए प्रस्तावित 25 एकड़ क्षेत्र के संदर्भ में यार्ड क्षमता का निर्धारण किया है। यह उल्लेखनीय है कि यार्ड क्षमता उपलब्ध बैकअप क्षेत्र पर निर्भर है और दिशानिर्देश सुविचारित किए जाने वाले भंडारण क्षेत्र के लिए कोई प्रतिमानक विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं। क्षेत्र थर्मल कोयला और स्टीम कोयला प्रत्येक के लिए आबंटित 12.5 एकड़ समान रूप से आबंटित किया गया है।

(ii). स्टेकिंग क्षमता:

(क). अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण के लिए दिशानिर्देश 3 टन प्रति वर्ग मी0 पर स्टेकिंग कारक प्रतिमानक निर्धारित करते हैं। वीपीटी ने थर्मल कोयला के लिए 5 टन प्रति वर्ग मी0 के स्टेकिंग कारक पर विचार किया है। वीपीटी द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरणों के आधार पर कि धूल बेरियर के रूप में 7 मीटर ऊंची इरेक्टिंग कम्पाउंड दीवार है और पत्तन द्वारा प्रतिवेदित 0.71 टन प्रति घन मीटर पर थर्मल कोयला के बल्क घनत्व को लेखा में लेते हुए, वीपीटी द्वारा प्रस्तावित 5 (7 x 0.71) के स्टेकिंग कारक पर विचार किया है।

(ख). वीपीटी ने स्टीम कोयले के लिए 4 टन प्रति वर्ग मी0 के स्टेकिंग कारक पर विचार किया है, कार्गो की प्रकृति कार्गो की धूलपूर्ण प्रकृति के अलावा बिना नमी का हल्के भार का कार्गो है। संयोगवश, आदेश सं. टीएएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 27 नवम्बर 2009 द्वारा वीपीटी में कोकिंग कोयला और स्टीम कोयला के प्रहस्तन के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण में इस प्राधिकरण ने वीपीटी द्वारा परिकल्पित स्टीम कोयले के लिए 4 टन प्रति वर्ग मी0 के स्टेकिंग कारक पर विश्वास किया है। वीपीटी द्वारा प्रस्तावित स्टेकिंग कारकों पर बिना किसी संशोधन के इस विश्लेषण पर विचार किया गया है।

(iii). प्लॉट टर्नओवर:

दिशानिर्देशों में निर्धारित कोयला टर्मिनल के लिए प्लॉट टर्नओवर के लिए प्रतिमानक 12 है। नवम्बर, 2009 के मूल प्रस्ताव में, वीपीटी ने 10 दिनों की निःशुल्क भंडारण अवधि के आधार पर टर्नओवर अनुपात 30 पर विचार किया है। पत्तन ने एक वर्ष में 330 कार्य दिवसों और 10 दिनों के विराम समय का अनुमान लगाते हुए अप्रैल 2010 के अपने संशोधित प्रस्ताव में टर्नओवर अनुपात संशोधित कर 33 किया है। सिकाल लोजिस्टिक्स का मत है कि 30 का टर्नओवर अनुपात बहुत ज्यादा है। ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2012 तक पत्तन द्वारा विकसित किए जाने के लिए परिकल्पित रेल संपर्कता में सुधार जिसके रेल साइड सेवा के बढ़ने की उम्मीद है, पत्तन द्वारा यथा स्पष्ट, और इससे कार्गो की निकासी को बढ़ाना और विराम समय को कम करना, पत्तन द्वारा परिकल्पित 33 का संशोधित टर्नओवर अनुपात लेखा में लिया गया है। सर्वोत्तम क्षमता अर्जित करने और घाट तथा यार्ड क्षमताओं के बीच बेमेल से बचने के लिए उपलब्ध भंडारण प्लॉट का तीव्र घुमाव आवश्यक है।

(iv). स्टेकिंग कारक और ऊपर स्पष्ट किए गए टर्नओवर अनुपात को अंगीकृत करते हुए और दिशानिर्देशों में निर्धारित सूत्र लागू करते हुए थर्मल कोयला और स्टीम कोयला के प्रहस्तन के

लिए अभियंत्रिकृत टर्मिनल की सर्वोत्तम यार्ड क्षमता 7.36 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) निर्धारित की गई है।

- (ग). सर्वोत्तम टर्मिनल क्षमता:
बिना पूर्णांकित किए अपफ्रंट प्रशुल्क की गणना में दो क्षमताओं अर्थात घाट और यार्ड के निम्नतर होते हुए अभियंत्रिकृत टर्मिनल की सर्वोत्तम क्षमता 7363818 टन प्रति वर्ष (लगभग 7.36 एमटीपीए) सुविचारित की गई है।
यदि टर्नओवर अनुपात और स्टेकिंग कारक को पूरी तरह प्रतिमानकों के अनुसार सुविचारित किया जाता है तो यार्ड क्षमता संशोधित पैरामीटरों के आधारित पर निर्धारित 7.36 एमटीपीए के विपरीत 1.79 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी।

- (व). पूंजी लागत:
वीपीटी द्वारा अनुमानित थर्मल और स्टीम कोयला टर्मिनल के लिए संशोधित पूंजी लागत रु0 313.39 करोड़ है जिसमें से रु0 62.62 करोड़ बर्थिंग गतिविधि और रु0 250.77 करोड़ कार्गो प्रहस्तन सेवाओं के लिए आबंटनीय है जैसाकि नीची स्पष्ट किया गया है।

- (क). बर्थिंग गतिविधि:
- (i). अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुसार, बर्थ किराया सेवाओं के लिए पूंजी लागत में बर्थ के निर्माण की लागत और बर्थ के समीप किए गए निकर्षण, यदि कोई हो, की लागत शामिल है। दिशानिर्देश अपेक्षा करते हैं कि पत्तन न्यास के अनुमानों के अनुसार सिविल लागत पर विचार किया जाए।
अभियंत्रिकृत स्टीम कोयला बर्थ की लम्बाई 280 मीटर और बर्थ की चौड़ाई 22.50 मीटर परिकल्पित की गई है। बर्थ की लागत रु0 56.69 करोड़ अनुमानित की गई है। इसमें स्लोप सुरक्षा दीवारों के निर्माण के लिए रु0 7.38 करोड़ की अनुमानित लागत जमा बर्थ जुड़नारों के लिए रु0 1.80 करोड़ शामिल है। वीपीटी ने स्पष्ट किया है कि स्लोप सुरक्षा दीवारों का निर्माण और बर्थ जुड़नार बर्थ निर्माण के भाग हैं।
- (ii). वीपीटी ने मै0 ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए कार्य के आधार पर रु0 300/घन मी0 की इकाई दर अंगीकृत करते हुए बर्थ के समीप निकर्षण के लिए रु0 5.93 करोड़ का अनुमान लगाया है। आदेश सं. टीएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 27 नवम्बर 2009 द्वारा कोकिंग कोयला और स्टीम कोयला के प्रहस्तन के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण संबंधी हाल ही में समाहित कार्यवाहियों में, वीपीटी द्वारा प्रतिवेदित रु0 300 प्रति घन मीटर की इकाई दर पर इस प्राधिकरण द्वारा विश्वास किया गया था।

- (ख). कार्गो प्रहस्तन गतिविधि:
- (i). सिविल निर्माण लागत:
अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश कोयला टर्मिनल के लिए शामिल किए गए सिविल कार्य दर्शाते हैं और पत्तन से सिविल लागत का अनुमान लगाने की अपेक्षा करते हैं। अनुमानित सिविल लागत में रेल ट्रैकों और वैगन टिपलिंग स्टेशन अथवा डम्पर हाऊसों अथवा मार्शलिंग यार्ड की लागत शामिल नहीं की गई थी।
पत्तन ने स्पष्ट किया है कि उसने हाल ही में स्टेकिंग क्षेत्र में पांच रेलवे लाइनें बिछाई हैं जिसका उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार, बैकअप क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान सिविल ढाँचों की नष्ट किए जाने की आवश्यकता है जिसे डम्पर हाऊसों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
वीपीटी ने इस आधार पर सड़कें बिछाने की लागत पर विचार नहीं किया कि सड़कें पहले से मौजूद हैं और इसने हाल ही में सड़कें बिछाई हैं।
दिशानिर्देशों के अनुसार सिविल कार्यों के अधीन सूचीबद्ध मदों में से एक कन्वेयर गैलेरियां हैं। पत्तन ने सिविल कार्यों के अधीन भूमि सुधार की लागत पर विचार किया है और स्पष्ट किया है कि भूमि सुधार में कन्वेयर गैलेरियों के लिए नींव बिछाने की लागत शामिल है।
- (ii). उपस्कर लागत:
(क). उपस्कर की मानक सूची अन्य उपस्कर में रिक्लेमरों की 2 सं. और 2 स्टेकर निर्धारित करती है, जबकि वीपीटी ने एक रिक्लेमर, एक स्टेकर और एक स्टेकर-सह-रिक्लेमर पर विचार किया है।
विनिर्दिष्ट प्रतिमानकों के संदर्भ में उपस्कर में भिन्नता केवल एक उपस्कर अर्थात एक रिक्लेमर-सह-स्टेकर पर है। पत्तन ने अलग-अलग एक रिक्लेमर और एक स्टेकर की बजाय एक रिक्लेमर-सह-स्टेकर की तैनाती का प्रस्ताव किया है। इससे पहले,

वीपीटी ने कोकिंग कोयला और थर्मल कोयला के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण में अलग-अलग एक रिक्लेमर और एक स्टेकर की बजाय एक रिक्लेमर-सह-स्टेकर की तैनाती पर विचार किया था जिसपर इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 27 नवम्बर 2009 द्वारा विश्वास किया गया था।

- (ख). उपस्कर की मानक सूची अन्य उपस्कर में दो वैगन टिपलर और दो क्रेन निर्धारित करती हैं। वीपीटी ने एक वैगन टिपलर पर विचार किया है और क्रेनों पर विचार नहीं किया है।
- (iii). पत्तन द्वारा तैयार किए गए सिविल और उपस्कर लागत अनुमान ऐसी किसी आवश्यकता का ध्यान रखने के लिए आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान के साथ हैं जो अनुमानों, कार्य करार कर और इंजीनियरिंग पर्यवेक्षण प्रभार में परिकल्पित नहीं है।
कार्य करार अधिनियम की दर के बारे में सिकाल लोजिस्टिक्स द्वारा उठाई गई शंका के संदर्भ में, वीपीटी ने स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा सुविचारित 2.8 प्रतिशत देश में वर्तमान टैक्स के अनुसार है।
वीपीटी द्वारा सुविचारित स्टेकर-सह-रिक्लेमर (रु 32.62 करोड़), वैगन टिपलर (रु 24.47 करोड़), मेटल डिटेक्टरों और धर्मकांटों (0.57 करोड़), वर्कशाप उपस्कर (रु 1.13 करोड़) और बिजली पावर और कंट्रोल स्विच गियरों (रु 3.87 करोड़) की इकाई लागत बजटीय ऑफरों द्वारा समर्थित नहीं की गई है और, वीपीटी द्वारा प्रतिवेदित तत्संबंधी मदों के लिए लागत पर विश्वास किया गया है।
बैल्ट कन्वेयरों (रु 56.65 करोड़) और पेलोडरों तथा डोजरों (रु 1.36 करोड़) की लागत अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2009 में इस प्राधिकरण द्वारा विश्वास की गई स्थिति के अनुसार है।
सिविल लागत के मामले में, पत्तन ने स्पष्ट किया है कि अनुमान 1 जनवरी 2010 को अद्यतन संशोधनों के साथ वीपीटीदर अनुसूची के आधार पर तैयार किए गए हैं। उन मदों के लिए जहां दरें दर अनुसूची में उपलब्ध नहीं होती हैं, 1 जनवरी 2010 को बाजार दरों में प्रचलित दरों पर विचार किया गया है।
पत्तन द्वारा स्पष्ट किए गए कारणों से, यह प्राधिकरण पत्तन द्वारा भेजे गए अनुमानों पर विश्वास करता है। यह उल्लेखनीय है कि वीपीटी द्वारा अनुमानित सिविल और उपस्कर लागत पर किसी भी उपयोक्ता अथवा बोलीदाता ने आपत्ति नहीं उठाई है।
- (iv). वीपीटी ने सिविल और उपस्कर लागत पर 5 प्रतिशत विविध पूंजी लागत का अनुमान लगाया है, जोकि दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतिमानक के अनुसार पाया गया है।
- (v). रु 62.62 करोड़ पर बर्थ किराया सेवा और रु 250.77 करोड़ पर कार्गो प्रहस्तन सेवा कुल रु 313.39 करोड़ की पूंजी लागत पर विचार किया गया है। संयोगवश, हमारे द्वारा सुविचारित अनुमान पत्तन द्वारा प्रतिवेदित स्तरों पर है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि पूंजी लागत अनुमान 1 जनवरी 2010 को दर अनुसूची पर आधारित है, जैसाकि पत्तन द्वारा बताया गया है।
- (vi). टीएनईबी ने इस आधार पर प्रतिलाभ को कम करके 12 प्रतिशत करने का अनुरोध किया है कि 16 प्रतिशत प्रतिलाभ बहुत ज्यादा है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आरओसीई की दर की समीक्षा की गई थी। इसलिए, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ अनुमानित पूंजी लागत से 16 प्रतिशत पर परिकल्पित किया गया है। यह बर्थ किराया सेवा के लिए रु 10.02 करोड़ और कार्गो प्रहस्तन सेवाओं के लिए रु 40.12 करोड़ परिगणित होता है।
- (vi). प्रचालन लागत:
(क). वीपीटी ने उपस्कर के मानक बेड़े के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित 1.40 इकाईयों प्रति टन पर बिजली उपभोग पर विचार किया है।
वीपीटी द्वारा सुविचारित बिजली की इकाई लागत रु 6.20 है। बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ और लिक्विड कार्गो बर्थ के लिए फरवरी 2009 में और कोकिंग कोयले तथा स्टीम कोयले के लिए नवम्बर 2009 में पूर्ववर्ती निर्धारित अपफ्रंट प्रशुल्क में भी, वीपीटी ने रु 6.20 पर बिजली की इकाई दर दर्शाई थी जिसपर इस प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया था। इस प्रकार, 7.36 मिलियन टन की सर्वोत्तम टर्मिनल क्षमता के लिए बिजली लागत रु 639.20 लाख परिगणित होती है।

- (ख). प्रतिमानकों के अनुसार, मरम्मत और अनुरक्षण लागत सिविल परिसंपत्तियों के 1 प्रतिशत पर और अभियांत्रिक तथा बिजली उपस्कर के 7 प्रतिशत पर, बीमा लागत सकल अचल परिसंपत्तियों के 1 प्रतिशत पर और अन्य व्यय अचल परिसंपत्तियों के सकल मूल्य के 5 प्रतिशत पर अनुमानित किया गया है।
- (ग). परिसंपत्तियों के प्रासंगिक समूह के लिए एसएलएम के अंतर्गत कम्पनी अधिनियम में निर्धारित दरों के अनुसार सिविल लागत पर 3.34 प्रतिशत और उपस्कर लागत पर 10.34 प्रतिशत की दर से परिकल्पित मूल्यह्रास दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट प्रतिमानकों के अनुसार होना पाया गया है।
- (घ). पट्टा किराया जोन 1ख और जोन 1ग में 1,01,200 वर्ग मी० के कुल क्षेत्र के लिए परिकल्पित किया गया है। वीपीटी ने 2003-08 की पंचवर्षीय अवधि के लिए इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दर के आधार पर पट्टा किराये का अनुमान लगाया है। वार्षिक वृद्धि वर्ष 2004-05 से 2009-10 तक वर्तमान दर अनुसूची के अनुसार 2 प्रतिशत वार्षिक दर से सुविचारित की गई है। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि जोन 1ख में आबंटित (की जाने वाली) भूमि के लिए दर इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं है, इसलिए इकाई दर जोन 1क जोकि समीपवर्ती है और जोन 1ख के समकक्ष है, के लिए लागू वर्तमान पट्टा किराये पर सुविचारित की गई है।
- अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों के लिए दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट करते हैं कि पत्तन भूमि के लिए पट्टा किराया तत्संबंधी महापत्तन न्यासों के दरमान में निर्धारित दर के आधार पर अनुमानित की गई है। वीपीटी से संबंधित भूमि का पट्टा किराया मार्च 2004 में जारी की गई भूमि नीति पर सरकारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए 1998-2003 और 2003-08 की पांच-पांच वर्षों की अवधि के लिए 22 अप्रैल 2008 को आदेश सं. टीएमपी/41/2005-वीपीटी द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम बार अनुमोदित किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराया संशोधन के लिए देय है परंतु पत्तन ने महापत्तनों की भूमि नीति पर सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पट्टा किराये के संशोधन के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव दाखिल नहीं किया है। जब तक कोई संशोधन नहीं किया जाता है तब तक मौजूदा दरमान जारी रहेगा।
- महापत्तन न्यासों के दरमान में निर्धारित वर्तमान पट्टा किराया के आधार पर इस मद के अनुमानन की अपेक्षा करने वाले अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों में विशिष्ट प्रावधान को स्वीकार करते हुए, इस मद के लिए वीपीटी का अनुमान, जोकि 2 प्रतिशत की अनुमोदित वार्षिक वृद्धि के साथ 2003-08 की पांच वर्ष की अवधि के लिए इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दर पर आधारित है और वीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित जोन-1क से जोन-1ख के लिए लागू अनुमोदित दर का कार्यान्वयन बिना किसी बदलाव के सुविचारित किया गया है।
- यदि 2008-13 की पांच वर्षों की अवधि के लिए संशोधित पट्टा किराया प्रस्तावित ईक्यू-1क टर्मिनल के लिए आरएमपी के जारी करने से पहले लागू किया जाता है तो पत्तन इस मद के संदर्भ में अपफ्रंट प्रशुल्क की समीक्षा के लिए इस प्राधिकरण का रुख करेगा।
- (ङ). दिशानिर्देश अपेक्षा करते हैं कि बर्थिंग सेवा के लिए प्रचालन लागत बर्थ लागत के 1 प्रतिशत पर अनुमानित की जाए।
- वीपीटी ने अनुरक्षण के लिए 1 प्रतिशत के निर्धारित प्रतिमानक के अलावा बर्थिंग सेवा की वार्षिक राजस्व अपेक्षा का अनुमान लगाने के समय बर्थ के निर्माण और निकर्षण से संबंधित कुल पूंजी लागत पर बीमा 1 प्रतिशत की दर से और मूल्यह्रास 3.34 प्रतिशत की दर से सुविचारित किया है।
- हालांकि दिशानिर्देश प्रचालन लागत को बर्थ लागत के 1 प्रतिशत पर सीमित करते हैं, परंतु परिसंपत्ति पर्याप्त बीमा कवर की अपेक्षा करती है और तथ्य कि परिसंपत्ति का मूल्य टूट-फूट की वजह से भी मूल्यह्रासित होगा इससे इंकार नहीं किया जा सकता। अन्य पत्तन न्यासों पर अपफ्रंट बर्थ किराया निर्धारित करते समय, इस स्थिति को स्वीकार किया गया था और बीमा की लागत तथा मूल्यह्रास बर्थिंग सेवा से वार्षिक राजस्व अपेक्षा के निर्धारण के लिए सुविचारित किए गए थे।
- ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति के मद्देनजर, बर्थ किराया सेवा से राजस्व अपेक्षा के निर्धारण के लिए प्रचालन लागत का अनुमान लगाने के समय इस मामले में भी बीमा लागत तत्व 1 प्रतिशत और मूल्यह्रास पूंजी लागत के 3.4 प्रतिशत की दर से सुविचारित किए गए हैं। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण के लिए दिशानिर्देशों का खंड 3.6 इस प्राधिकरण को व्यय की मद विशेष पर निर्णय लेने का अधिकार देता है जिनके लिए दिशानिर्देशों में प्रतिमानक स्पष्ट नहीं हैं उनके लिए अपफ्रंट प्रशुल्क सीमा परिकल्पित करते समय समावेशन के लिए विचार करता है।
- (vii). वीपीटी द्वारा प्रस्तुत किया गया अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण का विवरण उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार सुविचारित किया गया है। विवरण की प्रति **अनुलग्नक-I** रूप में संलग्न की गई है।

- (क). कार्गो प्रहस्तन सेवा से कुल राजस्व अपेक्षा रु0 10333.89 लाख अनुमानित की गई है जोकि रु0 6321.66 की प्रचालन लागत और रु0 4012.23 लाख की पूंजी लागत पर प्रतिलाभ का जोड़ है।
- (ख). दिशानिर्देशों के अनुसार, पूर्व-निर्धारित प्रशुल्क पर पहुंचने के लिए कुल राजस्व अपेक्षा का 98 प्रतिशत प्रहस्तन प्रभार और एक-एक प्रतिशत भंडारण प्रभार और विविध प्रभार में प्रभाजित किया गया है।
- (ग). जैसाकि पहले बताया गया है, स्टीम कोयले के लिए परिकल्पित प्रहस्तन दर थर्मल कोयले से भिन्न है। स्टीम कोयला और थर्मल कोयला के लिए एकसमान प्रहस्तन दर प्रस्तावित करने के संबंध में प्रश्न पूछने पर, वीपीटी ने स्पष्ट किया है कि प्रहस्तन दर कार्गो के घनत्व की वजह से भिन्न है और एकसमान दर निर्धारित करने पर जोर दिया गया है। अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश कोयले की विभिन्न श्रेणियों के लिए पृथक दरें निर्धारित करने की स्पष्ट रूप से अपेक्षा नहीं करते हैं। संयोगवश, वीपीटी में जीसीबी के मामले में, एकसमान प्रहस्तन दर कोकिंग कोयला और स्टीम कोयला के लिए निर्धारित की गई थी। इस प्रकार, 7.36 एमटीपीए पर निर्धारित टर्मिनल की सर्वोत्तम क्षमता के आधार पर, कार्गो प्रहस्तन सेवा से रु0 10127.21 लाख की अनुमानित राजस्व अपेक्षा की पूर्ति के लिए समेकित प्रहस्तन दर रु0 137.53 प्रति टन परिगणित होती है, जोकि वीपीटी के जीसीबी में कोकिंग कोयला और स्टीम कोयला के प्रहस्तन के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करते हुए आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2009 में अनुमोदित रु0 131.94 प्रति टन की प्रहस्तन दर से तुलनीय है।
- सरकार द्वारा परिकल्पित तटीय रियायत नीति के अनुसार, कुछ विशिष्ट घटकों से इतर तटीय कार्गो जैसे थर्मल कोयला तटीय संचलन के लिए रियायती दरें प्राप्त करता है। वीपीटी ने स्टीम कोयले की सम्पूर्ण वापस लदाई को तटीय संचलन माना है और थर्मल कोयले के प्रहस्तन के लिए दर पर ऐसी रियायत के राजस्व प्रभाव पर रियायती लदाई दर का प्रस्ताव किया है। चूंकि टर्मिनल में प्रहस्तन किए जाने वाले दोनों घटक, थर्मल कोयला और स्टीम कोयला, तटीय है, इसलिए रु0 137.53 प्रति टन की दर दोनों कार्गो के लिए लागू तटीय दर के रूप में सुविचारित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि वीपीटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि टर्मिनल पर विदेशी कार्गो का प्रहस्तन नहीं किया जाएगा। सरकारी नीति के अनुसार तटीय कार्गो के लिए रियायत स्वीकृत करना विदेशी कार्गो के लिए निर्धारित दर के संदर्भ में उठता है। चूंकि इस टर्मिनल का कहना है कि केवल तटीय संचलन किया जाएगा, इसलिए विदेशी कार्गो दर निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए, तटीय कार्गो के लिए पृथक दर है। निर्धारित दर केवल तटीय संचलन के लिए है।
- (घ). वीपीटी द्वारा प्रस्तावित समेकित प्रहस्तन प्रभार में स्टेकयार्ड में कार्गो की उतराई के लिए प्रभार, भंडारण के बिन्दु तक स्थानांतरण, 5 दिनों की निःशुल्क अवधि तक स्टेकयार्ड में भंडारण, स्टेकयार्ड से रिक्लेमिंग, घाटशुल्क सहित पोत पर लदाई और जब कभी जरूरी हो लेबर की आपूर्ति और दरमान में विशेष रूप से निर्धारित की गई सभी अन्य विविध सेवाएं शामिल हैं।
- (ङ). वीपीटी ने अनुमान लगाया है कि कुल कार्गो का 23 प्रतिशत बिलंबशुल्क आकर्षित करेगा। इसने रु0 1.22 प्रति टन पर प्रथम स्लैब (6वें दिन से 10वें दिन) के लिए दर प्रस्तावित की है। अनुवर्ती स्लैबों के लिए, प्रस्तावित दर तत्संबंधी पूर्ववर्ती स्लैब का 150 प्रतिशत और 133 प्रतिशत है। वीपीटी द्वारा प्रस्तावित यूनिट भंडारण प्रभार बर्थ में पोत के औसत विराम के लिए 33 और 5 निःशुल्क दिनों और 2.2 दिनों के टर्नओवर अनुपात पर विचार करते हुए संशोधित किया गया है। तदनुसार, कुल कार्गो का प्रतिशत बिलंबशुल्क आकर्षित करेगा जो 35 प्रतिशत होता है और दिनों की औसत संख्या जिसके लिए भंडारण प्रभार अर्जित होगा 3.8 दिन परिगणित किया गया है। परिणामस्वरूप, प्रथम स्लैब के लिए भंडारण प्रभार वीपीटी द्वारा प्रस्तावित रु0 1.22 के विपरीत प्रथम स्लैब के लिए रु0 1.06 प्रति टन प्रतिदिन अथवा उसका भाग है। अनुवर्ती स्लैबों के लिए दरें आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2009 द्वारा कोकिंग कोयला और स्टीम कोयला के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण में अंगीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ववर्ती स्लैब के दोगुना पर निर्धारित की गई है।
- (च). विविध प्रभार के लिए प्रशुल्क सीमा वीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित रु0 1.40 प्रति टन पर निर्धारित की गई है। विविध प्रभार में सफाई, धूल निवारण, पर्यावरण सुरक्षा, आदि के लिए प्रभार शामिल है।
- (छ). बर्थिंग सेवा से राजस्व अपेक्षा पत्तन द्वारा यथा अनुमानित रु0 1336.35 लाख परिगणित होती है। सामान्यतः विदेशगामी पोतों के लिए पोत संबंधित प्रभार प्रासंगिक प्रशुल्क आदेश की अधिसूचना के समय प्रचलित विनियम दर लागू करते हुए रुपया मूल्य को डॉलर में परिवर्तित करते हुए अमेरिकी डॉलर रूप में मूल्यवर्गित किए गए हैं। यह प्राधिकरण अन्य महापत्तन न्यासों में अपफ्रंट बर्थ किराये को अंतिम रूप देते समय उल्लिखित कारणों से केवल रुपया रूप में अपफ्रंट बर्थ किराया प्रभार को अनुमोदित करने का निर्णय पहले ही ले चुका है। वीपीटी ने रु0 0.57 प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसका भाग पर विदेशगामी पोतों के लिए रुपया रूप में बर्थ किराये का प्रस्ताव किया है। बर्थ किराये पर पहुंचने के लिए वीपीटी द्वारा अनुसरित

कार्यपद्धति सामान्य रूप से अन्य अपफ्रंट प्रशुल्क मामलों में इस प्राधिकरण द्वारा अनुसरित दृष्टिकोण के अनुसार पाई गई है। टर्मिनल की सर्वोत्तम क्षमता यार्ड क्षमता तक सीमित की गई है। तदनुसार, थर्मल कोयला और स्टीम कोयला की मात्रा यार्ड क्षमता गणना में निर्धारित स्तर 7.36 एमटीपीए पर सुविचारित की गई है। वीपीटी द्वारा यथा प्रेषित थर्मल कोयला और स्टीम कोयला लाने वाले हैंडीमेक्स/पेनामेक्स पोतों का प्रतिशत हिस्सा थर्मल कोयला और स्टीम कोयला क्षमता के वितरण के लिए आधार रूप में लिया गया है। बर्थ किराया रु0 0.57 प्रति जीआरटी प्रति घंटा (गणना **अनुलग्नक-I** के हिस्से के रूप में संलग्न की गई है) परिगणित होता है।

- (ज). वीपीटी ने, बर्थ किराया प्रभार प्रस्तावित करते समय, रु0 0.57 की विपरीत दर को तटीय दर के रूप में माना है और कृत्रिम रूप से तटीय दर बढ़ाते हुए विदेशगामी पोतों के लिए रु0 0.95 की दर प्रस्तावित की है। चूंकि वीपीटी ने बताया है कि विदेशी पोत प्रस्तावित टर्मिनल पर प्रहस्तित नहीं किए जाएंगे, इसलिए विदेशगामी पोत के लिए दर निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
- (viii). कुछ समान शब्दावलियों जैसे विदेशगामी पोत, तटीय पोत, दिवस की परिभाषाएं वीपीटी और वीपीटी में प्रचालन कर रहे अन्य निजी टर्मिनलों के दरमान में निर्धारित परिभाषाओं के अनुसार अपफ्रंट अनुसूची में शामिल की गई है।
- (ix). 2005 के दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट और अन्य महापत्तनों/निजी टर्मिनलों के दरमान में एकसमान रूप से निर्धारित वीपीटी द्वारा प्रस्तावित कुछ समान शर्तें जैसे 'उपयोक्ताओं को निजी टर्मिनल प्रचालक पर आरोप्य उपयुक्त स्तर से अधिक विलंबों के लिए प्रभार अदा करने की आवश्यकता नहीं होगी', 'बर्थ किराया पोत के नौचालन के लिए तैयार होने के चार घंटे बाद रूक जाएगा', 'उस अवधि के लिए भंडारण प्रभार प्रोद्भूत नहीं होगा जब प्रचालक अपने ऊपर आरोप्य कारणों की वजह से उपयोक्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर सुपुर्दगी/कार्गो के नौभरण की स्थिति में नहीं हो' कोयला टर्मिनल की अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची में शामिल की गई है।
- (x). यह स्वीकार करते हुए कि अब निर्धारित की गई शर्तें 30 वर्षों की समयावधि के लिए लागू होंगी, उपयोक्ताओं द्वारा विलंबित भुगतान और प्रचालक द्वारा विलंबित वापसी के लिए ब्याज की दंडात्मक दर से संबंधित प्रावधान इस प्राधिकरण द्वारा निर्णीत अन्य अपफ्रंट प्रशुल्क मामलों में निर्धारित प्रावधान के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की प्रधान उधार दर से 2 प्रतिशत अधिक पर निर्धारित की गई है।

9.1. दिशानिर्देशों के खंड 2.8 के अनुसार, प्रशुल्क सीमाएं मुद्रास्फीति से सूचकांकित की जाएगी परन्तु 1 जनवरी 2008 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक। प्रशुल्क सीमाओं का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क सीमाएं प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक लागू होंगी। वर्तमान मामले में, चूंकि अपफ्रंट प्रशुल्क गणना में सुविचारित पूंजी लागत और प्रचालन लागत की इकाई दर का अनुमानन, वीपीटी द्वारा यथा प्रतिवेदित, 1 जनवरी 2010 को है, इसलिए यह उपयुक्त और प्रासंगिक होगा कि प्रतिवर्ष स्वचालित समायोजन के लिए सुविचारित किए जाने वाले आधार डब्ल्यूपीआई का निर्धारण 1 जनवरी 2010 को किया जाए। तदनुसार, प्रस्तावित दरमान में अनुसूची 6 इस स्थिति को दर्शाने के लिए संशोधित की गई है।

9.2. दिशानिर्देशों के खंड 2.9.1 और 2.9.2 में यथा विनिर्दिष्ट, व्यावसायिक प्रचालनों की शुरुआत से पहले, निजी प्रचालक को महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 48 के अधीन यथा अपेक्षित, अनुमोदित अधिकतम दरों और शर्तों के विवरण वाले दरमान की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण का रूख करना होगा।

9.3. दिशानिर्देशों के खंड 3.8.5 के अनुसार, स्पष्टीकरणों अथवा दरमान के निर्वर्चन और शर्तों के विवरण के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो ऐसा मामला इस प्राधिकरण को भेजा जाएगा और इस संबंध में इसका निर्णय प्रचालकों पर बाध्यकारी होगा।

9.4. परियोजनाओं के लिए निष्पादन प्रतिमानक बोली दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए। निजी प्रचालक से उम्मीद की जाती है कि वह कम से कम बोली दस्तावेज/रियायत करार में दिए गए निष्पादन प्रतिमानकों तक निष्पादन करे।

9.5. निजी प्रचालक का वास्तविक निष्पादन इस प्राधिकरण द्वारा मॉनीटर किया जाएगा। यदि सेवा की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो यह प्राधिकरण ऐसे आरोपों की जाँच करेगी और अपने निर्णय विशाखापत्तनम पत्तन न्यास को अग्रेषित करेगा। यदि निजी प्रचालकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जानी होगी तो विशाखापत्तनम पत्तन न्यास प्रासंगिक रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ करेगा।

9.6. टर्मिनल में व्यावसायिक प्रचालन के दौरान, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर, निजी प्रचालक विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के माध्यम से इस प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें पूर्ववर्ती तीन महीनों के दौरान टर्मिनल का प्रत्यक्ष और वित्तीय निष्पादन शामिल किया जाएगा।

10. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से, और समग्र विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण विशाखापत्तनम पत्तन न्यास में थर्मल कोयला और स्टीम कोयला के प्रहस्तन के लिए अनुलग्नक-II रूप में संलग्न प्रशुल्क सीमाएं अनुमोदित करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

डीबीएफओटी आधार पर आंतरिक हारबर में पूर्व घाट 1क बर्थ में थर्मल कोयला और स्टीम कोयला के अभियंत्रिकृत प्रहस्तन के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची

1.1. परिभाषाएँ

इस दरमान में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:-

- (i). "तटीय पोत" का अर्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस वाला भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में विशेष रूप से लगाया गया पोत होगा।
- (ii). "विदेशगामी पोत" का अर्थ तटीय पोत से इतर कोई पोत होगा।
- (iii). "दिवस" का अर्थ दिन के प्रातः 6:00 बजे से शुरू होकर अगले दिन प्रातः 6:00 बजे को समाप्त अवधि होगी।

1.2. सामान्य निबंधन एवं शर्तें

- (i). पोत संबंधित प्रभारों की वसूली करने के प्रयोजन के लिए "तटीय" अथवा "विदेशगामी" पोत के रूप में इसका वर्गीकरण करने के लिए सीमाशुल्क अथवा नौवहन महानिदेशक द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र पोत का दर्जा निर्णायक कारक होगा; और, इस प्रयोजनार्थ कार्गो की प्रकृति अथवा उसके उद्गम का इस प्रयोजन के लिए कोई महत्व नहीं होगा।
- (ii). (क). सभी तटीय कंटेनरों के लिए बर्थ किराया प्रभार अन्य पोतों के लिए तदनुसूची प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।
(ख). पीओएल सहित कच्चे तेल, लौह अयस्क और लौह गुट्टिकाओं तथा ताप कोयले से इतर सभी तटीय कार्गो के लिए कार्गो संबंधित प्रभार सामान्य कार्गो संबंधित प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।
(ग). कार्गो संबंधित प्रभारों के मामले में, रियायती दरें जलयान-तट स्थानांतरण और घाटशुल्क सहित घाट से/को भंडारण यार्ड को/से स्थानांतरण के लिए सभी प्रासंगिक प्रहस्तन प्रभारों पर प्रभार्य होंगी।
(घ). विदेशी पत्तन से कार्गो जो भारतीय पत्तन 'ख' को अनुवर्ती पोतांतरण के लिए भारतीय पत्तन 'क' पर पहुंचता है, से इसके तटीय नौचालन के लिए प्रासंगिक रियायती प्रभार प्रभार्य होंगे। दूसरे शब्दों में, तटीय नौचालन के लिए अनुमत पोतों द्वारा भारतीय पत्तनों से/को ले जाया जाने वाला कार्गो रियायत के लिए पात्र होगा।
- (iii). विलंबित भुगतानों/वापसियों पर ब्याज:
(क). उपयोक्ता को इस दरमान के अधीन विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज अदा करना होगा। इसी तरह, टर्मिनल प्रचालक को विलंबित वापसियों पर दंडात्मक ब्याज अदा करना होगा।
(ख). दंडात्मक ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित प्रधार उधार दर से 2 प्रतिशत अधिक होगी।
(ग). वापसियों पर विलंब सेवाओं के पूरा होने की तारीख के 20 दिन बाद से अथवा उपयोक्ताओं से अपेक्षित सभी दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर, जो भी बाद में हो, परिगणित किया जाएगा।
(घ). उपयोक्ताओं द्वारा भुगतानों में विलंब टर्मिनल प्रचालक द्वारा बिलों को दिए जाने की तारीख के 10 दिन बाद से परिगणित किया जाएगा। तथापि, यह प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां भुगतान सेवाएं प्राप्त करने से पहले किया जाता है जहां प्रभारों का अग्रिम भुगतान दरमान में एक शर्त के रूप में निर्धारित किया जाता है।
- (iv). किसी वैयक्तिक मद की मात्रा अथवा क्षमता द्वारा सकल भार अथवा मापन की गणना करते हुए, 0.5 तक के दशमलव 0.5 इकाई रूप में लिए जाएंगे और 0.5 और अधिक के दशमलव एक इकाई माने जाएंगे, सिवाय इसके जहां अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो।
- (v). सभी परिगणित प्रभार प्रत्येक बिल के सकल जोड़ पर अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित किए जाएंगे।
- (vi). (क). इस दरमान में निर्धारित दरें अधिकतम स्तर हैं; इसी प्रकार, रियायतें और छूट निम्नतम स्तर हैं। टर्मिनल प्रचालक, यदि वह ऐसा चाहे तो, निम्नतर दरें वसूल कर सकता है और/अथवा उच्चतर रियायतें और छूट प्रदान कर सकता है।
(ख). टर्मिनल प्रचालक, यदि वह ऐसा चाहे तो, दरमान में निर्धारित दरों के कार्यान्वयन पर शासित निर्धारित शर्तों को युक्तिसंगत भी बना सकता है यदि युक्तिकरण से उपयोक्ताओं को दर प्रति इकाई में राहत मिलती है और दरमान में निर्धारित इकाई दरें अधिकतम स्तर से अधिक नहीं हों।
(ग). तथापि, टर्मिनल प्रचालक को ऐसी निम्नतर दरों और/अथवा ऐसी दरों के कार्यान्वयन पर शासित शर्तों के युक्तिकरण के बारे में सार्वजनिक अधिसूचना देनी होगी और ऐसी निम्नतर दरों और/अथवा ऐसी दरों के

कार्यान्वयन पर शासित शर्तों में कोई और बदलाव किए जाने की अधिसूचना देते रहना होगा परंतु नई निर्धारित दरें टीएएमपी द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- (vii). उपयोक्ताओं को टर्मिनल प्रचालक पर आरोग्य उपयुक्त स्तर से अधिक विलंबों के लिए प्रभार अदा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. **बर्थ किराया प्रभार:**

क्र. सं.	पोत	दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसका भाग
		तटीय पोत (₹0 में)
1.	पोत	0.569

टिप्पणियाँ:

- (i). बर्थ किराये की वसूली के प्रयोजन के लिए समय पोत के बर्थ अभिग्रहण करने से बर्थ को खाली करने तक परिगणित की जाएगी।
- (ii). बर्थ किराये में बर्थ में प्रदत्त सेवाओं जैसे बर्थ का अभिग्रहण, कूड़ा हटाना, बर्थों की सफाई, अग्नि निगरानी आदि के लिए प्रभार शामिल हैं।
- (iii). उस अवधि के लिए बर्थ किराया प्रभार नहीं होगा जब पोत टर्मिनल प्रचालक के उपस्कर के खराब होने अथवा बिजली गुल होने अथवा टर्मिनल प्रचालक पर आरोग्य किन्हीं अन्य कारणों से लगातार एक घंटा अथवा अधिक समय तक इसके बर्थों पर निष्क्रिय रहते हैं।
- (iv). (क). बर्थ किराया पोत के नौचालन के लिए तैयार होने का संकेत देने के 4 घंटों बाद रूक जाएगा।
(ख). बर्थ किराये की समाप्ति के लिए निर्धारित 4 घंटों की समय सीमा पक्षीय ज्वारभाटीय स्थितियों के लिए अथवा खराब मौसम के कारण अथवा रात्रि नेविगेशन सुविधाओं के अभाव के कारण जलयान की प्रतीक्षा अवधि के अलावा होगा।
(ग). पोत का मास्टर/एजेंट पक्षीय ज्वारभाटीय और मौसम परिस्थितियों के अनुसार ही नौचालन के लिए तैयार होने का सिग्नल देगा।
- (v). दंडात्मक बर्थ किराया झूठे सिग्नल के लिए एक दिन (24 घंटे) के बर्थ किराया प्रभारों के समकक्ष होगा। "झूठा सिग्नल" तब होगा जब पोत तैयार होने का सिग्नल देता है और तब भी पाइलट के लिए माँग करता है जब इंजन के तैयार नहीं अथवा कार्गो प्रचालन पूरा नहीं करने अथवा पोतों पर आरोग्य किसी अन्य कारणों से बर्थ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। यह अपक्षीय ज्वारभाटा, रात्रि नेविगेशन की कमी अथवा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण नौचालन करने में समर्थ नहीं होता है तब तैयार होने का सिग्नल देने के अलावा है।

3. **कार्गो प्रहस्तन प्रभार:**

क्र.सं.	घटक	इकाई	दर रुपयों में
			तटीय
(क).	थर्मल कोयला	प्रति मीट्रिक टन	137.53
(ख).	स्टीम कोयला	प्रति मीट्रिक टन	137.53

टिप्पणी:

उपर्युक्त निर्धारित प्रहस्तन प्रभारों में वैगनों से कार्गो की उतराई, 5 दिनों की निःशुल्क अवधि तक स्टेकयार्ड में भंडारण, स्टेकयार्ड से रिक्लेमिंग और जलयान पर लदाई के लिए समेकित प्रभार है। इस समेकित प्रभार में घाटशुल्क और लेबर की आपूर्ति, जहां कहीं जरूरी हो और दरमान में विशेष रूप से निर्धारित नहीं किए गए सभी अन्य विविध प्रभार शामिल हैं।

4. **भंडारण प्रभार:**

निःशुल्क अवधि के बाद स्टेक यार्ड में भंडारित कार्गो के लिए भंडारण प्रभार निम्नवत् होंगे:-

(दर रुपयों में प्रति टन प्रतिदिन अथवा उसका भाग)

क्र. सं.	घटक	निःशुल्क अवधि के बाद रहने वाले शेष कार्गो के लिए प्रथम 5 दिनों हेतु दर	शेष कार्गो के लिए 6वें दिन से 10वें दिन के लिए दर	शेष कार्गो के लिए 11वें दिन से आगे के लिए दर
1.	थर्मल कोयला और स्टीम कोयला	1.06	2.12	4.24

टिप्पणियां:

- (i). 5 निःशुल्क दिवस स्वीकृत किए जाएंगे। निर्यात कार्गो के लिए निःशुल्क अवधि पत्तन परिसर में सामानों की प्राप्ति की वास्तविक तारीख से शुरू होगी। निःशुल्क अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए, सीमाशुल्क अधिसूचित अवकाश दिवस और टर्मिनल के गैर-कार्यदिवस अतिरिक्त होंगे।
- (ii). भंडारण प्रभार निर्धारित निःशुल्क दिवसों के बाद कार्गो के विराम के लिए टर्मिनल के गैर-कार्यदिवसों और सीमाशुल्क अधिसूचित अवकाश दिवसों सहित सभी दिनों के लिए देय होंगे।
- (iii). उस अवधि के लिए कार्गो पर भंडारण प्रभार प्रोद्भूत नहीं होंगे जिस दौरान उपयोक्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर प्रचालक प्रचालक पर आरोप्य कारणों की वजह से टर्मिनल प्रचालक कार्गो की सुपुर्दगी/नौभरण की स्थिति में नहीं हो।

5. विविध प्रभार:

निम्नलिखित विविध प्रभार प्रहस्तित कोकिंग कोयला और स्टीम कोयला के लिए लागू है:-

क्र. सं.	विवरण	दर प्रति टन अथवा उसका भाग (₹0 में)
(i).	सफाई, धूल निवारण और पर्यावरण आदि के लिए प्रभार।	1.40

6. उपर्युक्त अनुसूची (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणी:

प्रशुल्क सीमाएं मुद्रास्फीति से सूचकांकित की जाएगी परन्तु 1 जनवरी 2010 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक। प्रशुल्क सीमाओं का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क सीमाएं प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक लागू होंगी।

* * * *

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के प्रस्तावित ईक्यू-1क बर्थ में कोयला टर्मिनल के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क का निरूपण

₹0 लाखों में

क्र.सं.	विवरण	वीपीटी द्वारा प्रेषित अनुमान			टीएमपी द्वारा सुविचारित अनुमान
		प्रस्ताव पत्र दिनांक 6 जनवरी 2010 द्वारा	संशोधित प्रस्ताव पत्र दिनांक 14 अप्रैल 2010 द्वारा	यथा संशोधित पत्र दिनांक 24 अप्रैल 2010 द्वारा	
क	सर्वोत्तम क्षमता				
I	सर्वोत्तम घाट क्षमता				
(क)	पोत आकार की हिस्सेदारी				
	केपसाइज पोतों की क्षमता की प्रतिशत हिस्सेदारी (एस1)	0%	0%	0%	0%
	45000 से 80000 डीडब्ल्यूटी क्षमता के पोतों की प्रतिशत हिस्सेदारी (एस2)	84%			
	थर्मल कोयला के लिए (एस2.1)		39.50%	39.50%	39.50%
	स्टीम कोयला के लिए (एस2.2)		44.50%	44.50%	44.50%
	45000 डीडब्ल्यूटी तक की क्षमता के पोतों की प्रतिशत हिस्सेदारी (एस3)	16%			
	थर्मल कोयला के लिए (एस3.1)		7.50%	7.50%	7.50%
	स्टीम कोयला के लिए (एस3.2)		8.50%	8.50%	8.50%
(ख)	जलयान दिवस आउटपुट (टनों में प्रतिदिन)				
	- केपसाइज पोत (पी1)	0	0	0	0
	- 45000 से 80000 डीडब्ल्यूटी क्षमता के पोत (पी2)	40000			
	थर्मल कोयला के लिए (पी2.1)		40000	40000	40000
	स्टीम कोयला के लिए (पी2.2)		27000	27000	27000
	- 45000 डीडब्ल्यूटी तक की क्षमता के पोत (पी3)	20000			
	थर्मल कोयला के लिए (पी3.1)		20000	20000	20000
	स्टीम कोयला के लिए (पी3.2)		15000	15000	15000
(ग)	घाट क्षमता = $0.7*((एस1*पी1)+(एस2*पी2)+(एस3*पी3))$	9402400	7815745	7815745	7815745
	मिलियन टनों में घाट क्षमता	9.40	7.82	7.82	7.82
II	सर्वोत्तम घाट क्षमता				
(क)	पत्तन द्वारा उपलब्ध करवाया गया यार्ड क्षेत्र (वर्ग मी0 में)	101200	101200	101200	101200
	थर्मल कोयला के लिए	50600	50600	50600	50600
	स्टीम कोयला के लिए	50600	50600	50600	50600
(ख)	स्टेकिंग के लिए उपलब्ध क्षेत्र (%) (यू)	70%	70%	70%	70%
(ग)	स्टेकिंग मात्रा प्रति वर्ग मीटर (टनों में) (क्यू)				
	थर्मल कोयला के लिए	5	5	5	5
	स्टीम कोयला के लिए	4	4	4	4
(घ)	प्लॉट का वार्षिक टर्नओवर अनुपात (टी)	30	33	33	33
(ङ)	कुल यार्ड क्षमता (टनों में)	6694380	7363818	7363818	7363818
	थर्मल कोयला के लिए	3719100	4091010	4091010	4091010
	स्टीम कोयला के लिए	2975280	3272808	3272808	3272808
(च)	कुल यार्ड क्षमता (मिलियन टनों में)	6.70	7.36	7.36	7.36

III	टर्मिनल की सर्वोत्तम क्षमता – सर्वोत्तम घाट क्षमता और सर्वोत्तम स्टेक यार्ड क्षमता का निम्नतर मूल्य (मिलियन टनों में)	6.70	7.36	7.36	7.36
-----	---	------	------	------	------

ख	पूँजी लागत				
I	कार्गो प्रहस्तन गतिविधि	(रु० लाखों में)	(रु० लाखों में)	(रु० लाखों में)	(रु० लाखों में)
(क)	सिविल लागत				
	- बर्थ अपरन और पहुंचमार्ग	68.38	68.38	57.21	57.21
	- भंडारण यार्ड, भवन, आपूर्ति और सीवेज	54.84	54.84	54.85	54.85
	- वर्तमान ढाँचे को गिराना और कम्पाऊंड दीवार का पुनर्निर्माण	191.20	191.20	191.20	191.20
	- भूमि सुधार	--	590.84	673.75	673.75
	- ड्राइव हाऊस और स्थानांतरण हाऊस	--	192.61	192.61	192.61
	- क्षेत्र अल्युमिनेशन	46.72	--	--	--
	उपजोड़ (क)	361.14	1097.87	1169.62	1169.62
(ख)	उपस्कर लागत				
	- जलयान लोडर 1500 टीपीएच (2सं.)	3965.36	4937.43	4937.43	4937.43
	- रिक्लेमर 1500 टीपीएच (2सं.)	3398.88	--	--	--
	- रिक्लेमर 1500 टीपीएच (1 सं.) (मानक: 2 सं.)	--	3261.79	3261.79	3261.79
	- स्टेकर सह रिक्लेमर 1 सं. (उपस्कर की मानक सूची में शामिल नहीं है और 1 सं. रिक्लेमर और 1 सं. स्टेकर के विपरीत प्रस्तावित किया गया है)	--	3261.79	3261.79	3261.79
	- टिवन वैगन टिपलर 1500 टीपीएच (1 सं.) (मानक: 2 सं.)	1699.44	2447.20	2447.20	2447.20
	- स्टेकर 1500 टीपीएच (2सं.)	2719.10	--	--	--
	- स्टेकर 1500 टीपीएच (1 सं.) (मानक: 2 सं.)	--	2447.20	2447.20	2447.20
	- बैल्ट कन्वेयर 3000 टीपीएच	5664.79	5664.79	5664.79	5664.79
	- मेटल डिटेक्टर और धर्मकॉटे (4 + 2 सं.)	56.65	56.65	56.65	56.65
	- ड्राइव हाऊस और स्थानांतरण हाऊस	192.60	--	--	--
	- पे लोडर और जोजर (2 सं. प्रत्येक)	135.96	135.95	135.95	135.95
	- वर्कशाप उपस्कर	113.30	113.30	113.30	113.30
	- विद्युत ऊर्जा और कंट्रोल स्विच गियर्स	339.89	386.61	386.61	386.61
	उपजोड़ (ख)	18285.97	22712.71	22712.71	22712.71
(ग)	विविधि (क) और (ख) पर 5 प्रतिशत)	932.36	1190.53	1194.12	1194.12
	प्रहस्तन गतिविधि के लिए कुल पूँजी लागत (क+ख+ग)	19579.47	25001.11	25076.45	25076.45
II	बर्थिंग सेवाओं के लिए पूँजी लागत				
(क)	बर्थ का निर्माण	5200.44	5200.44	4750.08	4750.08
(ख)	ढलान सुरक्षा कार्यों का निर्माण	826.90	826.90	738.45	738.45
(ग)	बर्थ जुड़नार	180.29	180.29	180.29	180.29
(घ)	भूमि सुधार	590.84	--	--	--
(ङ)	निकर्षण लागत	593.34	593.34	593.34	593.34
	बर्थिंग सेवाओं के लिए कुल पूँजी लागत (क से ङ)	7391.81	6800.97	6262.16	6262.16
III	कुल परियोजना पूँजी लागत (I + II)	26971.28	31802.08	31338.61	31338.61
ग	प्रचालन लागत				
I	कार्गो प्रहस्तन गतिविधि	(रु० लाखों में)	(रु० लाखों में)	(रु० लाखों में)	(रु० लाखों में)
(क)	बिजली लागत (रु० 6.20/इकाई की दर से 1.4 इकाई प्रति टन)	581.56	639.20	639.20	639.20
(ग)	मरम्मत और अनुरक्षण				

	- सिविल परिसंपत्तियां (सिविल कार्य पर 1 प्रतिशत)	3.61	10.98	11.70	11.70
	- पुर्जों सहित अभियांत्रिक और बिजली उपस्कर (अभियांत्रिक और बिजली कार्यों पर 7 प्रतिशत)	1280.02	1589.89	1589.89	1589.89
(घ)	बीमा (सकल अचल परिसंपत्तियों पर 1 प्रतिशत)	195.79	250.01	250.76	250.76
(ङ)	मूल्यहास				
	- सिविल ढाँचे (@ 3.34%)	12.06	36.67	39.07	39.07
	- अभियांत्रिक और बिजली (@ 10.34%)	1890.77	2348.49	2348.49	2348.49
(ज)	लाइसेंस शुल्क	188.73	188.73	188.73	188.73
(झ)	वेतनों और उपरिचयों के लिए अन्य व्यय (परिसंपत्तियों के सकल मूल्य पर 5 प्रतिशत)	978.97	1250.06	1253.82	1253.82
	कुल प्रचालन लागत	5131.51	6314.03	6321.66	6321.66
घ	राजस्व अपेक्षा और प्रस्तावित प्रशुल्क				
।	कार्गो प्रहस्तन प्रभार				
(क)	राजस्व अपेक्षा				
	(i) कुल प्रचालन लागत	5131.51	6314.03	6321.66	6321.66
	(ii) नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ @ 16%	3132.72	4000.18	4012.23	4012.23
	(iii) कार्गो प्रहस्तन गतिविधि से कुल राजस्व अपेक्षा	8264.23	10314.21	10333.89	10333.89
(ख)	राजस्व अपेक्षा का प्रभाजन				
	(i) कोयला प्रहस्तन प्रभार (एआरआर का 98 प्रतिशत)	8098.95	10107.93	10127.21	10127.21
	(ii) भंडारण प्रभार (एआरआर का 1 प्रतिशत)	82.64	103.14	103.34	103.34
	(iii) विविध प्रभार (एआरआर का 1 प्रतिशत)	82.64	103.14	103.34	103.34
	(iv) कार्गो प्रहस्तन गतिविधि से कुल राजस्व अपेक्षा	8264.23	10314.21	10333.89	10333.89
(ग)	प्रस्तावित प्रशुल्क प्रति टन दर				
	(i) कोयला प्रहस्तन प्रभार (समेकित)				
	- राजस्व अपेक्षा (रु० लाखों में)	8098.95	10107.93	10127.21	10127.21
	- क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष)	6.70			
	थर्मल कोयला के लिए	0	4.09	4.09	4.09
	स्टीम कोयला के लिए	0	3.27	3.27	3.27
	समेकित प्रहस्तन प्रभार – कार्गो वार	120.88			
	थर्मल कोयला के लिए	0	166.94	167.26	137.53
	स्टीम कोयला के लिए (तटीय)	0	100.16	100.36	137.53
	(ii) भंडारण प्रभार				
	- राजस्व अपेक्षा (रु० लाखों में)	82.64	103.14	103.34	103.34
	- भंडारण प्रभार आकर्षित करने वाले कार्गो का प्रतिशत	17%	23%	23%	35%
	- भंडारण प्रभार अदा करने की संभावना वाला कार्गो (लाख टन)	11.39	16.94	16.94	25.77
	- निःशुल्क अवधि	10 दिन	5 दिन	5 दिन	5 दिन
	- भंडारण प्रभार (निःशुल्क अवधि के बाद)	दर प्रति टन प्रतिदिन अथवा उसका भाग	दर प्रति टन प्रतिदिन अथवा उसका भाग	दर प्रति टन प्रतिदिन अथवा उसका भाग	दर प्रति टन प्रतिदिन अथवा उसका भाग
	- प्रथम पांच दिन	1.45	1.22	1.22	1.06
	- 6वें दिन से 10वें दिन	2.90	1.83	1.83	2.12
	- 11वें दिन से आगे	5.80	2.44	2.44	4.24
	(iii) विविध प्रभार				
	- राजस्व अपेक्षा (रु० लाखों में)	82.64	103.14	103.34	103.34
	- क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष)	6.70	7.36	7.36	7.36
	- विविध प्रभार प्रति टन	1.23	1.40	1.40	1.40

II	बर्थ किराया प्रभार				
(क)	राजस्व अपेक्षा	(रु० लाखों में)	(रु० लाखों में)	(रु० लाखों में)	(रु० लाखों में)
	(i) मरम्मत और अनुरक्षण प्रभार बर्थ के लिए पूंजी लागत पर 1 प्रतिशत)	73.92	68.01	62.62	62.62
	(ii) मूल्यह्रास (@ 3.34%)	246.89	227.15	209.16	209.16
	(iii) बीमा (बर्थ किराया सेवा के लिए कुल लागत पर 1 प्रतिशत)	73.92	68.01	62.62	62.62
	उपजोड़ (क)	394.73	363.17	334.40	334.40
(ख)	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ @ 16%	1182.69	1088.16	1001.95	1001.95
(ग)	बर्थिंग सेवाओं से कुल राजस्व अपेक्षा (क + ख)	1577.42	1451.33	1336.35	1336.35
(घ)	बर्थ किराया प्रभार				
	विदेशगामी पोत (दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा) रु० में	1.48	1.03	0.95	
	तटीय पोत (दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा) रु० में	0.89	0.62	0.57	0.569

बर्थ किराया परिकलन

पत्र दिनांक 6 जनवरी 2010 द्वारा वीपीटी द्वारा प्रेषित

क्र.सं.	विवरण	इकाई	ताप कोयला		स्टीम कोयला		जोड़
i.	औसत डीडब्ल्यूटी	टन	45000 तक	45000 से 85000	45000 तक	45000 से 85000	
ii.	अनुपात	टन	9%	47%	7%	37%	100%
iii.	जलयान दिवस आउटपुट	टन प्रतिदिन	20000	40000	15000	27000	
iv.	औसत जीआरटी	टन	22000	44000	22000	44000	
v.	औसत पार्सल आकार	टन	36000	72000	36000	72000	
vi.	प्रहस्तित किए जाने के लिए संभावित टनभार	लाख टन	603000	3149000	469000	2479000	6700000
vii.	बर्थ दिवसों की औसत सं. (vi / iii)	दिन	30	79	23	62	194
viii.	बर्थ घंटों की सं. {24 x (vii)}	घंटे	720	1896	552	1488	4656
ix.	पोतों की संभावित संख्या (vi/v)	पोतों की सं.	17	44	13	34	108
x.	जीआरटी घंटे (iv x viii)	लाख टन	158	834	121	655	1768
xi.	कुल जीआरटी घंटे	लाख टन	992		776		1768
xii	राजस्व अपेक्षा	रु0 लाखों में					1577.42
	बर्थ किराया – तटीय पोत (xii /xi)	रु0 प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसका भाग					0.89

वीपीटी द्वारा पत्र दिनांक 14 अप्रैल 2010 द्वारा प्रेषित

क्र.सं.	विवरण	इकाई	ताप कोयला		स्टीम कोयला		जोड़
i.	पोत आकार	डीडब्ल्यूटी	45000 तक	45000 से 85000	45000 तक	45000 से 85000	
ii.	प्रहस्तन दर	टन प्रतिदिन	20000	40000	15000	27000	
iii.	औसत जीआरटी	टन	22000	44000	22000	44000	
iv.	औसत पार्सल आकार	टन	36000	72000	36000	72000	
v.	प्रहस्तित किए जाने की संभावना वाला टनभार	लाख टन	6.55	34.36	5.24	27.49	73.64
vi.	बर्थ दिवसों की औसत सं. (vi / iii)	दिन	33.00	86.00	35.00	101.00	255
vii.	बर्थ घंटों की सं. {24 x (vii)}	घंटे	792	2064	840	2424	6120
viii.	पोतों की संभावित संख्या (vi/v)	पोतों की सं.	18	48	15	38	119
ix.	कुल जीआरटी घंटे	लाख घंटे	174	908	185	1067	2334
x	राजस्व अपेक्षा	रु0 लाखों में					1451.33
xi	बर्थ किराया – तटीय पोत (xi /x)	रु0 प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसका भाग					0.62

वीपीटी द्वारा पत्र दिनांक 24 अप्रैल 2010 द्वारा प्रेषित

क्र.सं.	विवरण	इकाई	ताप कोयला		स्टीम कोयला		जोड़
i.	पोत आकार	डीडब्ल्यूटी	45000 तक	45000 से 85000	45000 तक	45000 से 85000	
ii.	जलयान दिवस आउटपुट	टन प्रतिदिन	20000	40000	15000	27000	
iii.	औसत जीआरटी	टन	22000	44000	22000	44000	
iv.	औसत पार्सल आकार	टन	36000	72000	36000	72000	
v.	प्रहस्तित किए जाने की संभावना वाला टनभार	लाख टन	6.55	34.36	5.24	27.49	73.64
vi.	बर्थ दिवसों की औसत सं. (vi / iii)	दिन	33.00	86.00	35.00	101.00	255
vii.	बर्थ घंटों की सं. {24 x (vii)}	घंटे	792	2064	840	2424	6120
viii.	पोतों की संभावित संख्या (vi/v)	पोतों की सं.	18	48	15	38	119
ix.	कुल जीआरटी घंटे	लाख घंटे	174	908	185	1067	2334
x	राजस्व अपेक्षा	रु0 लाखों में					1336.35
xi	बर्थ किराया – तटीय पोत (xi /x)	रु0 प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसका भाग					0.57

टीएएमपी द्वारा संशोधित गणना

क्र.सं.	विवरण	इकाई	ताप कोयला		स्टीम कोयला		जोड़
i.	पोत आकार	डीडब्ल्यूटी	Upto 45000	45000 to 85000	Upto 45000	45000 to 85000	
ii.	जलयान दिवस आउटपुट	टन प्रतिदिन	20000	40000	15000	27000	
iii.	औसत जीआरटी	टन	22000	44000	22000	44000	
iv.	औसत पार्सल आकार	टन	36000	72000	36000	72000	
v.	प्रहस्तित किए जाने की संभावना वाला टनभार	लाख टन	3.55	37.36	3.14	29.59	73.64
vi.	बर्थ दिवसों की औसत सं. (vi/ii)	दिन	17.75	93.40	20.93	109.59	242
vii.	बर्थ घंटों की सं. {24 x (vi)}	घंटे	426	2242	502	2630	5800
viii.	पोतों की संभावित संख्या (v/iv)	पोतों की सं.	10	52	9	41	112
ix.	कुल जीआरटी घंटे	लाख घंटे	94	986	110	1157	2348
x.	राजस्व अपेक्षा	रु0 लाखों में					1336.35
xi.	बर्थ किराया – तटीय पोत (xi /x)	रु0 प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसका भाग					0.569